संघ लोक सेवा आयोग

इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2027

परीक्षा नोटिस संख्या 02/2027- इंजीनियरी	
परीक्षा की अधिसूचना की तारीख	16.09.2026
आवेदन भरने की अंतिम तारीख	06.10.2026
परीक्षा (प्रारंभिक) की तारीख	31.01.2027
परीक्षा (प्रधान) की तारीख	18.06.2027

(आयोग की वेबसाइट – https://upsc.gov.in)

उम्मीदवारों हेतु महत्वपूर्ण सूचना

पंजीकरण तथा आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के चार काड्र्स/मॉड्यूल हैं, जिनमें से तीन यथा अकाउंट खोलना, यूनिवर्सल पंजीकरण तथा समान आवेदन प्रपत्र सभी परीक्षा आवेदनों के लिए एक समान हैं और उम्मीदवार द्वारा किसी भी समय भरे जा सकते हैं जबकि चौथा कार्ड/मॉड्यूल परीक्षा विशेष से संबंधित है जिसे किसी परीक्षा की अधिसूचना में अनुमत समय सीमा के भीतर भरा जा सकता है। आवेदक वेबसाइट https://upsconline.nic.inका प्रयोग करके ऑनलाइन आवेदन करें।

उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) जनरेट होती है, जो आयोग की सभी परीक्षाओं के लिए समान होती है। परीक्षा विशिष्ट प्रपत्र भरने के बाद, एक आवेदन संख्या जनरेट की जाती है, जो परीक्षा विशिष्ट होती है और आवेदक द्वारा आयोग के साथ किसी भी भावी पत्राचार के लिए इसे यूआरएन के साथ सुरक्षित रखा जाना अपेक्षित है। यूआरएन जीवनकाल में एक ही बार पंजीकृत करना होगा। जहाँ एक ओर यूआरएन एक ही रहेगा और वही हमेशा प्रयुक्त होगा वहीं दूसरी ओर आवेदन संख्या परिवर्तनीय होगी और प्रत्येक परीक्षा में बदलती रहेगी।

आवेदन प्रपत्र भरने और दस्तावेज अपलोड करने के लिए उम्मीदवारों को दिशा-निर्देश देने हेतु विस्तृत अनुदेश इस पोर्टल के मुख्य पृष्ठ पर और सभी प्रोफाइल/मॉड्यूल के साथ उपलब्ध हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इन अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और पहले से अपने अपेक्षित दस्तावेज तैयार रखें ताकि आवेदन प्रपत्र भरने और दस्तावेज अपलोड करने का कार्य सुचारु रूप से हो सके।

आईडी तथा अन्य विवरणों के सरल और निर्बाध सत्यापन तथा अधिप्रमाणन के लिए आवेदकों को

आईडी दस्तावेज के रूप में अपने आधार कार्ड का ही इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है।

1. <u>परीक्षा के लिए उम्मीदवार अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें :</u>

सभी उम्मीदवारों से निवेदन है कि सरकार (संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग) द्वारा अधिसूचित इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2027 की नियमावली तथा इस नियमावली के आधार पर तैयार किए गए परीक्षा के नोटिस को ध्यान से पढ़ लें। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन पूर्णत: अनंतिम होगा।

उम्मीदवार को ई-प्रवेश पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दी गई है। उम्मीदवार द्वारा व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार हेतु अर्हता प्राप्त करने के बाद ही आयोग मूल प्रमाण पत्रों के संदर्भ में पात्रता शर्तों का सत्यापन करता है।

2. आवेदन कैसे करें :

<u>**उम्मीदवार केवल** आयोग की **वेबसाइट** https://upsconline.nic.in **के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।**</u> उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन प्रपत्र भरने से पहले सामान्य अनुदेशों, प्रोफाइल/मॉडयूल-वार अनुदेशों और दस्तावेज अपलोड करने संबंधी अनुदेशों को ध्यान से पढ़ लें। ये अनुदेश मुख्य पृष्ठ के मेन्यू बार में उपलब्ध हैं। ऐसे उम्मीदवार जो इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2027 के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं उन्हें यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन), समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) तथा चौथे मॉड्यूल अर्थात् परीक्षा विशिष्ट मॉड्यूल (शुल्क तथा केन्द्र आदि सहित) के साथ जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यता आदि विभिन्न दावों के संबंध में आयोग द्वारा अपेक्षित जानकारी तथा सहायक दस्तावेज जमा करने होंगे। समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) के साथ अपेक्षित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर परीक्षा के लिए उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

संक्षिप्त अनुदेश परिशिष्ट-IIक में दिए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

नोट 1: <u>यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) विवरण को एक बार संशोधित करने की सुविधा:</u>

आयोग उम्मीदवारों को अपने यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) विवरण को एक बार अद्यतन या संशोधित करने की सुविधा प्रदान करता है। कृपया ध्यान दें कि यूआरएन विवरण में किए गए बदलाव, पहले से जमा हो चुके आवेदनों में दिखाई नहीं देंगे। अद्यतन सूचना केवल उन आवेदनों पर लागू होगी जो उम्मीदवार द्वारा आवश्यक बदलाव करने और यूआरएन विवरण को सफलतापूर्वक पुनः लॉक करने के बाद जमा किए गए हैं।

नोट 2: <u>समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) भरने के लिए लाइव-फोटो कैप्चर:</u>

आवेदकों द्वारा समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) भरते समय अपनी फोटोग्राफ अपलोड करना और लाइव-फोटोग्राफ कैप्चर करना भी अपेक्षित है। आवेदक यह अवश्य सुनिश्चित करें कि अपलोड की गई फोटोग्राफ और कैप्चर की गई लाइव-फोटोग्राफ आयोग की वेबसाइट https://upsconline.nic.in पर उपलब्ध "अनुदेश तथा प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न" (एफएक्यू) >प्रपत्र भरने संबंधी अनुदेश >फोटो और हस्ताक्षर" में दिए गए अनुदेशों के अनुसार स्पष्ट हो।

नोट 3: हस्ताक्षर अपलोड करना

आवेदकों को सादे सफेद कागज पर काली स्याही के पेन से तीन बार (एक के नीचे एक) हस्ताक्षर करने होंगे और समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) भरते समय उसे अपलोड करना होगा। अपलोड किए गए हस्ताक्षर स्पष्ट और सुपाठ्य होने चाहिए। उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट: https://upsconline.nic.in पर "अनुदेश और प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न" के अंतर्गत उपलब्ध हस्ताक्षर अपलोड करने संबंधी अनुदेश देखने की सलाह दी जाती है।

नोट 4:फोटो अपलोड करना

कृपया ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के मुख्य पृष्ठ पर दस्तावेज़ अपलोड करने संबंधी अनुदेशों में दिए गए फोटो अपलोड करने संबंधी अनुदेशों का पालन करें।

2.1 आवेदन वापस लेना:

उम्मीदवार को आवेदन जमा करने के बाद अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी Iइसके अलावा, आवेदन प्रपत्र जमा करने के बाद किसी भी फील्ड में किसी सुधार/परिवर्तन/संशोधन की अनुमति नहीं है।

2.2 उम्मीदवार के पास किसी एक फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ मतदाता पहचान पत्र/ पैन कार्ड/ पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेंस/ राज्य/ केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य फोटो पहचान पत्र का विवरण भी होना चाहिए। उम्मीदवार को अपना यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) विवरण भरते समय इस फोटो पहचान पत्र का विवरण उपलब्ध कराना होगा। इस फोटो आईडी का उपयोग सभी भावी संदर्भों के लिए किया जाएगा। उम्मीदवार को परीक्षा के लिए उपस्थित होते समय इस पहचान पत्र को साथ ले जाने की सलाह दी जाती है।

<u>**2.3** आईडी तथा अन्य विवरणों के सरल और निर्बाध सत्यापन तथा अधिप्रमाणन के लिए आवेदकों को आईडी दस्तावेज के रूप में अपने आधार कार्ड का ही इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है।</u>

3. <u>आवेदन भरने की अंतिम तारीख:</u>

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र **16.09.2026 से 06.10.2026, सायं 6.00 बजे** तक भरे जा सकते हैं और इसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा।

4.<u>ई-प्रवेश पत्र जारी करना:</u>

पात्र उम्मीदवारों को ई-प्रवेश पत्र परीक्षा की तारीख के पिछले सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस को जारी किया जाएगा।**इसके अतिरिक्त जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा की तारीख से सात (07) दिन पहले स्क्राइब को बदलने का विकल्प चुना हो, उन्हें परीक्षा की तारीख से 03 (तीन) दिन पहले ई-प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा।**उम्मीदवार द्वारा डाउनलोड करने के लिए ई-प्रवेश पत्रआयोग की वेबसाइट [**https://upsconline.nic.in**]पर उपलब्ध होंगे। डाक द्वारा कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे एकाउंट बनाते समय मान्य और सक्रिय ई-मेल आई डी प्रदान करें क्योंकि आयोग परीक्षा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उनसे संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड का इस्तेमाल कर सकता है।

5. <u>ओएमआर पत्रक में उत्तर चिह्नित करना:</u>

ओएमआर शीट (उत्तर पुस्तिका) में लिखने और उत्तर चिन्हित करने के लिए उम्मीदवार केवल **काले रंग के बॉल पेन** का इस्तेमाल करें। किसी अन्य रंग के पेन का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। पेंसिल अथवा स्याही वाले पेन का इस्तेमाल न करें। उम्मीदवार ध्यान दें कि ओएमआर शीट में विवरण को एनकोड करने/भरने में, विशेषकर अनुक्रमांक और परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला कोड के संदर्भ में कोई भी त्रुटि/चूक/विसंगति होने पर उत्तर पुस्तिका को अस्वीकृत किया जा सकता है। **उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे नोटिस के परिशिष्ट-III में दिए गए "विशिष्ट अनुदेश" को ध्यान से पढ़ें।**

6. गलत उत्तरों के लिए दंड

उम्मीदवार नोट कर लें कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड (**नेगेटिव मार्किंग**)दिया जाएगा।

7. विशेष अनुदेश :

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे 'परम्परागत प्रकार के परीक्षणों तथा वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों के लिए विशेष अनुदेश' (परिशिष्ट–III भाग 'क' तथा भाग 'ख') को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

<u>दृष्टिहीनता</u> की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस परीक्षा हेतु आवेदन न करें, क्योंकि इंजीनियरी सेवा परीक्षा,**2027** में उनके लिए कोई भी रिक्तियां विनिर्धारित/चिन्हित नहीं हैं। तथापि, <u>अल्प दृष्टि</u> श्रेणी के अंतर्गत आने वाले बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल उन्हीं पदों/सेवाओं के लिए आवेदन करें जिनके लिए वे दिनांक 16

सितबंर, 2026 के भारत के राजपत्र (असाधारण) में सरकार (दूरसंचार विभाग) द्वारा अधिसूचित की गई इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2027 की नियमावली के परिशिष्ट-III के अनुबंध-I में शामिल कार्यात्मक वर्गीकरण तथा शारीरिक अपेक्षाओं (एफसी एवं पीआर) के अनुसार पात्र हैं।

8. **प्रश्न-पत्र तथा अनंतिम उत्तर कुंजीके लिए ऑनलाइन अभ्यावेदन पोर्टल:**

आयोग इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2027 के पेपरों में पूछे गए प्रश्नों तथा वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र (पत्रों) की अनंतिम उत्तर कुंजियों के संबंध में परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवारों द्वारा आयोग को दिए जाने वाले अभ्यावेदनों के लिए पांच (05) दिन अर्थात् परीक्षा की तारीख से तीसरे दिन से सातवें दिन सायं 06:00 बजे तक की समय सीमा प्रदान करेगा। परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट **https://upsconline.nic.in** पर लॉगइन करें तथा अपने अभ्यावेदन यदि कोई हो, तो 'परीक्षा >प्रश्न पत्र तथा अनंतिम उत्तर कुंजी' संबंधी अभ्यावेदन शीर्ष के अंतर्गत जमा कर सकते हैं।ई-मेल/डाक/दस्ती रूप से या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा और आयोग इस संबंध में उम्मीदवारों के साथ कोई पत्राचार नहीं करेगा। 05 दिन की विंडो के समाप्त होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में प्राप्त कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

9. उम्मीदवारों हेतु हेल्पडेस्क:

आयोग ने आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों की सहायता के लिए एक विशिष्ट हेल्पलाइन स्थापित की है। आवेदन प्रक्रिया या परीक्षा विवरण से संबंधित स्पष्टीकरण, मार्गदर्शन या सहायता के इच्छुक उम्मीदवार हेल्पलाइन नंबर **011-24041001/011-40303444 अथवा ई-मेल आईडी – upscsoap@nic.in** पर संपर्क कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन आवेदन अवधि के दौरान, अर्थात 16.09.2026 से 06.10.2026 तक सभी कार्य दिवसों में सुबह 10.00 बजे से सायं 05.30 बजे तक चालू रहेगी। आवेदक, शुल्क भुगतान, दस्तावेज अपलोड करने आदि सहित आवेदन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी समस्या के लिए इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं।

10. मोबाइल फोन/संचार उपकरण प्रतिबंधित:

(क) परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग (चाहे वह स्विच ऑफ ही क्यों न हो), पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रोग्राम किए जा सकने वाला डिवाइस या पेन ड्राइव जैसा स्टोरेज मीडिया, स्मार्ट वॉच, एआई एनेबल्ड चश्मे इत्यादि या कैमरा या ब्लूटूथ डिवाइस या कोई अन्य उपकरण या संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य संबंधित उपकरण (चाहे वह बंद हो या चालू) पूर्णतः प्रतिबंधित है। इन अनुदेशों का उल्लंघन करने पर अनुशासनिक कार्रवाई सहित भविष्य की परीक्षाओं से विवर्जित भी किया जाएगा।

(ख) उम्मीदवारों को उनके अपने हित में यह सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर बैग, मोबाइल फोन/पेजर अथवा अन्य कीमती/मूल्यवान वस्तुओं सहित कोई प्रतिबंधित वस्तुएं साथ न लाएं क्योंकि सामान की सुरक्षा हेतु परीक्षा स्थल पर कोई व्यवस्था **नहीं** की जाएगी। आयोग इस संबंध में किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

11. परीक्षा स्थल पर रिपोर्ट करना:

परीक्षा स्थल पर उम्मीदवारों का प्रवेश परीक्षा के प्रत्येक सत्र के आरंभ होने से 30 मिनट पहले बन्द कर दिया जाएगा। किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश बन्द होने के बाद किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

12. परीक्षा स्थल पर उम्मीदवारों के लिए फेस-ऑथेंटिकेशन:

सुरक्षित एवं निर्बाध परीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सभी उम्मीदवारों को परीक्षा-स्थल पर अनिवार्य रूप से फेस-ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे फेस-ऑथेंटिकेशन/पहचान के सत्यापन तथा फ्रिस्किंग के लिए पर्याप्त समय पहले परीक्षा-स्थल पर पहुंचें।

उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट https://upsconline.nic.inके माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रस्तुत करने के लिए किसी दूसरे मोड की अनुमति नहीं है।

"सरकार ऐसे कार्यबल के लिए प्रयत्नशील है जिसमें पुरुष तथा महिला उम्मीदवारों की संख्या में संतुलन बना रहे तथा महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।"

फा. सं.02/02/2026-प.1 (ख) – भारत के राजपत्र असाधारण दिनांक **16 सितंबर, 2026** में दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय द्वारा प्रकाशित नियमावली के अनुसार नीचे पैरा-2 में उल्लिखित सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 3**1 जनवरी, 2027** को इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2027 की प्रारंभिक/चरण-**I** परीक्षा आयोजित की जाएगी।

2. इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर सेवाओं/पदों के निम्नलिखित वर्गों में भर्ती की जाएगी

वर्ग 1— सिविल इंजीनियरी

वर्ग 2—यांत्रिक इंजीनियरी

वर्ग 3—विद्युत इंजीनियरी

वर्ग 4—इलेक्ट्रॉनिकी तथा दूरसंचार इंजीनियरी

इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2027 के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या लगभग **480** है जिसमें बेंचमार्क दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) उम्मीदवारों की **19** रिक्तियां (कुष्ठ उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमला पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित लोकोमोटर दिव्यांगता के लिए **11**रिक्तियां और ऊंचा सुनने वालों के लिए 06 रिक्तियां, **अल्प दृष्टि** के लिए **01 रिक्ति** और **विशेष अधिगम दिव्यांगता तथा बहु- दिव्यांगता के लिए 01 रिक्ति**) भी सम्मिलित हैं। रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

रिक्तियों के संदर्भ में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) तथा बेंचमार्क दिव्यांगता श्रेणी वाले उम्मीदवारों के लिए भारत सरकार द्वारा यथानिर्धारित रीति के अनुसार आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

प्रतिभागी सेवाएं

वर्ग I-सिविल इंजीनियरी

समूह-क सेवाएं/पद

(i) केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा

(ii) केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क' (सिविल इंजीनियरी पद)।

(iii) भारतीय सर्वेक्षण समूह 'क' सेवा।

(iv) *सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा के अंतर्गत सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल)।

(v) एमईएस सर्वेयर संवर्ग में सहायक कार्यकारी इंजीनियर(क्यूएस एंड सी)।

(vi) केन्द्रीय जल इंजीनियरी (समूह "क") सेवा

(vii) भारतीय कौशल विकास सेवा

(viii) भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा (सिविल)

(ix) भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा (भंडार)-सिविल इंजी. पद।

(x) भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा

वर्ग II- यांत्रिक इंजीनियरी

<u>समूह-क/ख सेवाएं/पद</u>

(i) जीएसआई इंजीनियरी सेवा समूह 'क' में सहायक कार्यकारी इंजीनियर

(ii) भारतीय नौसेना सामग्री प्रबंधन सेवा (यांत्रिक इंजीनियरी पद)।

(iii) रक्षा वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन सेवा/एसएसओ-II (यांत्रिक)।

(iv) *सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा के अंतर्गत सहायक कार्यकारी इंजीनियरी (विद्युत तथा यांत्रिक) (यांत्रिक इंजीनियरी पद)।

(v) भारतीय कौशल विकास सेवा

(vi) भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा (यांत्रिक)

(vii) भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा (भंडार) – यांत्रिक इंजीनियरी पद।

(viii) भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा

(ix) भारतीय नौसेना आयुध सेवा (यांत्रिक इंजीनियरी पद)।

(x) केन्द्रीय जल इंजीनियरी (समूह 'क') सेवा।

(xi) केन्द्रीय विद्युत तथा यांत्रिक इंजीनियरी सेवा (यांत्रिक इंजीनियरी)

(xii) केन्द्रीय पावर इंजीनियरी सेवासमूह 'क'

वर्ग III—विद्युत इंजीनियरी

<u>समूह-क/ख सेवाएं/पद</u>

(i) केन्द्रीय विद्युत तथा यांत्रिक इंजीनियरी सेवा (विद्युत इंजीनियरी पद)।

(ii) भारतीय नौसेना सामग्री प्रबंधन सेवा (विद्युत इंजीनियरी पद)।

(iii) केन्द्रीय पावर इंजीनियरी सेवा समूह 'क' (विद्युत इंजीनियरी पद)।

(iv) रक्षा वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन सेवा/एसएसओ-II (विद्युत)।

(v) भारतीय कौशल विकास सेवा।

(vi) भारतीय रेल प्रबंधन सेवा (विद्युत) ।

(vii)भारतीय रेल प्रबंधन सेवा (स्टोर) – विद्युत इंजीनियरी पद ।

(vii) भारतीय रक्षा इंजीनियरी सेवा

(viii) भारतीय नौसेना आयुध सेवा (विद्युत इंजीनियरी पद)

वर्ग IV–इलेक्ट्रॉनिकी एवं दूरसंचार इंजीनियरी

समूह-क/ख सेवाएं/पद

(i) भारतीय रेडियो विनियामक सेवा समूह 'क'

(ii) भारतीय दूरसंचार सेवा समूह 'क'

(iii) भारतीय नौसेना सामग्री प्रबंधन सेवा (इलेक्ट्रॉनिकी और दूरसंचार इंजीनियरी पद)।

(iv) भारतीय नौसेना आयुध सेवा (इलेक्ट्रॉनिकी और दूरसंचार इंजीनियरी पद)।

(v) भारतीय कौशल विकास सेवा।

(vi) कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी समूह 'ख'।

(vii) भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा (सिग्नल एवं दूरसंचार)।

(viii) भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा (स्टोर)- एस एवं टी इंजी. पद।

(ix) केंद्रीय विद्युत इंजीनियरी सेवा समूह 'क' (इलेक्ट्रॉनिकी तथा दूरसंचार इंजीनियरी पद)

***सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा में सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल) एवं सहायक कार्यकारी इंजीनियर (विद्युत एवं यांत्रिक) (यांत्रिक इंजीनियरी पद) के पदों के लिए ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों की पात्रता, सरकार द्वारा यथासमय लिए गए निर्णय के अनुसार होगी |**

<u>नोट</u> :ऊपर दर्शाए गए पदों/सेवाओं पर भर्ती इस नोटिस के परिशिष्ट–**I** में निर्धारित परीक्षा की योजना(ओं) के आधार पर की जाएगी।

विशेष ध्यान: (i): विभागीय उम्मीदवार वे उम्मीदवार हैं जिन्हें नियम 5(ख)द्वारा आयु सीमा में छूट के अधीन परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी गई है। ऐसे उम्मीदवार अन्य मंत्रालयों/विभागों में नियुक्त किए जाने के लिए भी अपनी वरीयता दे सकते हैं।

विशेष ध्यान: (ii): पैरा 3 (III) के परंतुक के अंतर्गत परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों पर केवल उन्हीं पदों के लिए विचार किया जाएगा जो उक्त परंतुक में निर्दिष्ट हैं और अन्य सेवाओं और पदों के लिए उनकी वरीयताओं, यदि कोई हों, पर विचार नहीं किया जाएगा।

विशेष ध्यान : (iii): उम्मीदवारों को विभिन्न सेवाओं/पदों का आबंटन उनके चिकित्सा की दृष्टि से स्वस्थ पाए जाने के अध्यधीन योग्यताक्रम सूची में उनके स्थान, उनके द्वारा दी गई वरीयता तथा पदों की संख्या के आधार पर ही किया जाएगा।

2. (क) उम्मीदवार उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित श्रेणियों में से किसी भी एक श्रेणी के लिए जैसे कि सिविल इंजीनियरी या यांत्रिक इंजीनियरी या विद्युत इंजीनियरी या इलेक्ट्रॉनिकी और दूरसंचार इंजीनियरी से संबंधित परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकता है।

2. (ख) इंजीनियरी सेवा परीक्षा के लिए केंद्र:

(i) इंजीनियरी सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा के लिए केंद्र:

1.	अगरतला	18.	हैदराबाद	35.	पोर्ट ब्लेयर
2.	अहमदाबाद	19.	इंफाल	36.	रायपुर
3.	आइजोल	20.	आगरा	37.	रांची
4.	अलीगढ़	21.	ईटानगर	38.	संबलपुर
5.	प्रयागराज(इलाहाबाद)	22.	जयपुर	39.	शिलांग
6.	बेंगलुरु	23.	जम्मू	40.	गोरखपुर
7.	बरेली	24.	जोरहाट	41.	शिमला
8.	भोपाल	25.	कोच्चि (कोचीन)	42.	श्रीनगर
9.	चंडीगढ़	26.	कोहिमा	43.	तिरुवनंतपुरम
10.	गुरुग्राम	27.	कोलकाता	44.	तिरुपति
11.	चेन्नई	28.	लखनऊ	45.	उदयपुर
12.	कटक	29.	मदुरै	46.	विशाखापट्टनम
13.	देहरादून	30.	गया	47.	गाजियाबाद
14.	दिल्ली	31.	मुंबई	48.	वाराणसी
15.	धारवाड़	32.	नागपुर		
16.	दिसपुर (गुवाहाटी)	33.	पणजी (गोवा)		
17.	गंगटोक	34.	पटना		

(ii) इंजीनियरी सेवा (प्रधान) परीक्षा के लिए केंद्र: -

1.	अहमदाबाद	9.	देहरादून	17.	मुंबई
2.	आइजोल	10.	दिल्ली	18.	पटना
3.	प्रयागराज (इलाहाबाद)	11.	दिसपुर (गुवाहाटी)	19.	रायपुर
4.	बेंगलुरु	12.	हैदराबाद	20.	रांची
5.	भोपाल	13.	जयपुर	21.	शिलांग
6.	चंडीगढ़	14.	जम्मू	22.	शिमला
7.	चेन्नई	15.	कोलकाता	23.	तिरुवनंतपुरम
8.	कटक	16.	लखनऊ	24.	विशाखापट्टनम

उपर्युक्त परीक्षा केंद्र और परीक्षा आयोजित करने की तारीख में आयोग अपने विवेकानुसार परिवर्तन कर सकता है।

उम्मीदवारों को यह ध्यान देना चाहिए कि चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर को छोड़कर प्रत्येक केंद्र को आवंटित उम्मीदवारों की संख्या सीमित होगी। केन्द्रों का आबंटन **पहले आवेदन-पहले आबंटन** आधार पर होगा और एक बार किसी केंद्र विशेष की अधिकतम सीमा समाप्त हो जाने पर उक्त केंद्र पर आबंटन बंद कर दिया

जाएगा। जो आवेदक, केंद्र के अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच जाने के कारण अपनी पसंद का कोई केंद्र नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उन्हें शेष केंद्रों में से ही किसी एक का चयन करना होगा। अत:, आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे जल्दी आवेदन करें ताकि वे अपना मनपसंद परीक्षा केंद्र चुन सकें। यदि कोई आवेदक अपने ई-प्रवेश पत्र में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट परीक्षा-स्थल के अतिरिक्त किसी अन्य परीक्षा-स्थल पर उपस्थित होता है, तो ऐसे आवेदक को परीक्षा देने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।

विशेष ध्यान दें: पूर्वोक्त प्रावधानों के बावजूद, आयोग के पास परिस्थिति के अनुसार केंद्र में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। परीक्षा में शामिल होने वाले आवेदकों को परीक्षा की समय-सारणी और परीक्षा-स्थलों के बारे में सूचित किया जाएगा। आवेदकों को ध्यान रखना है कि परीक्षा केंद्र बदलने संबंधी किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। परीक्षा के सभी केंद्रों पर बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी परीक्षा आयोजित की जाएगी।

परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों को समय सारणी और परीक्षा स्थल (स्थलों) की जानकारी प्रदान की जाएगी। आवेदकों को ध्यान रखना है कि परीक्षा केंद्र बदलने संबंधी किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. <u>पात्रता की शर्तें:</u>

(I) राष्ट्रीयता:

उम्मीदवार को या तो :-

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(ङ) कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों - कीनिया, उगांडा, संयुक्त तंजानिया गणराज्य, जाम्बिया, मलावी, जायरे और इथियोपिया अथवा वियतनाम से आया हो।

किन्तु यह कि (ख), (ग), (घ) और (ङ) वर्गों के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता (एलिजीबिलिटी) प्रमाण पत्र होना चाहिए। ऐसे उम्मीदवार को भी परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है जिसके लिए पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो परन्तु उसे नियुक्ति प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र दिए जाने पर ही दिया जाएगा।

(II) <u>आयु - सीमा:</u>

(क) इस परीक्षा के लिए उम्मीदवार की आयु 1 **जनवरी, 2027** को 21 वर्ष हो चुकी हो, किन्तु 30 वर्ष पूरी न हुई हो अर्थात् उसका जन्म **2 जनवरी,1997** से पहले और **1 जनवरी, 2006** के बाद न हुआ हो।

(ख) नीचे दिए गए कालम-1 में निर्दिष्ट प्राधिकरणों के नियंत्रणाधीन किसी विभाग/कार्यालय में नियुक्त और निम्नलिखित श्रेणियों के सरकारी कर्मचारी यदि कॉलम-2 में निर्दिष्ट सभी अथवा किसी सेवा (सेवाओं)/पद (पदों) के लिए परीक्षा में प्रवेश पाने हेतु, जिसके लिए वे अन्यथा पात्र हैं, आवेदन करते हैं, तो अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष के स्थान पर 35 वर्ष होगी:-

(i) वह उम्मीदवार जो संबद्ध विभाग/कार्यालय विशेष में मूल रूप से स्थायीपद पर हैं। उक्त विभाग/कार्यालय में स्थायी पद पर नियुक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को उनकी परिवीक्षा की अवधि के दौरान यह छूट नहीं मिलेगी। तथापि, यह छूट नियुक्त परिवीक्षार्थी के लिए स्वीकार्य होगी बशर्ते नीचे कालम-1 में दर्शाए गए किसी भी प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन विभाग/कार्यालय में स्थायी पद पर उसका पहले से ही लियन हो।

(ii) वह उम्मीदवार जो किसी विभाग/कार्यालय विशेष में **1 जनवरी, 2027** को, कम से कम 3 वर्ष लगातार अस्थायी सेवा नियमित आधार पर कर चुका हो।

कॉलम 1	**कॉलम 2**
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	सी.ई.एस समूह 'क', सीईएण्डएमईएस समूह 'क'
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क'
संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग	भारतीय रेडियो विनियामक सेवा समूह 'क' भारतीय दूरसंचार सेवा समूह 'क' कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी (जी.सी.एस समूह 'ख')
रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय	रक्षा वैमानिकी गुणवत्ता आवश्वासन सेवा(डीएक्यूएएस) समूह 'क'
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग	भारतीय सर्वेक्षण सेवा समूह 'क'
सीमा सड़क संगठन	सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा समूह "क"।
भारतीय नौसेना	भारतीय नौसेना आयुध सेवा। भारतीय नौसेना सामग्री प्रबंधन सेवा।
सैन्य इंजीनियरी सेवाएं	भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा (आई.डी.एस.ई.) समूह 'क' सैन्य इंजीनियरी सेवा (एमईएस) सर्वेयर संवर्ग में ए.ई.ई.(क्यूएस एंड सी)

जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय जल आयोग	केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा समूह-क सेवा
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	सीपीईएस समूह 'क'
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय	भारतीय कौशल विकास सेवा
भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण	सहायक कार्यकारी इंजीनियर समूह 'क'
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)	भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा (सिविल) भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा (यांत्रिक) भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा (विद्युत) भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा (सिग्नल एवं दूरसंचार) भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा (भंडार)

(ग) इसके अलावा निम्नलिखित स्थितियों में उपरोक्त अधिकतम आयु-सीमा में छूट दी जाएगी:-

(i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक पांच वर्ष तक;

(ii) अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में अधिकतम तीन वर्ष तक जो ऐसे उम्मीदवारों पर लागू होने वाले आरक्षण प्राप्त करने के पात्र हैं।

(iii) किसी अन्य देश के साथ युद्ध में या अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान दिव्यांग हुए तथा इसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए रक्षा सेवा के कार्मिकों के मामले में अधिक से अधिक तीन वर्ष तक।

(iv) जिन भूतपूर्व सैनिकों, कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित, ने **1 जनवरी, 2027** को कम से कम पांच वर्ष की सैनिक सेवा की हो और जो (1) कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल **1 जनवरी, 2027** से एक वर्ष के भीतर पूरा होना है), या (2) सैनिक सेवा से हुई शारीरिक दिव्यांगता, या (3) अशक्तता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं, उनके मामले में अधिक से अधिक पांच वर्ष तक।

(v) आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामलों में जिन्होंने **1 जनवरी, 2027** को सैनिक सेवा के पांच वर्ष की सेवा की प्रारंभिक अवधि पूरी कर ली है और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय एक प्रमाण-पत्र जारी करता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा, अधिकतम पांच वर्ष।

(vi) बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवारों अर्थात् अल्पदृष्टि, बधिर तथा श्रवण बाधित, लोकोमोटर दिव्यांगता सहित कुष्ठ उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमला पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, विनिर्दिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रुग्णता के मामले में अधिकतम 10 वर्ष तक।

नोट I : अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित वे उम्मीदवार, जो उपर्युक्त नियम 3 (II)(ग) के अंतर्गत आते हैं, अर्थात् पूर्व सैनिकों या बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी के तहत आने वाले उम्मीदवार, दोनों श्रेणियों के अंतर्गत दी जाने वाली संचयी आयु सीमा-छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे।

नोट II: पूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें समय-समय पर यथा-संशोधित पूर्व सैनिक (सिविल सेवा और पद में पुन: रोजगार) नियमावली, 1979 के अधीन पूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया जाता है।

नोट III: पैरा 3 (ii)(ग)(iv) और (v) के तहत पूर्व सैनिकों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। पूर्व सैनिक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसने भारत संघ की नियमित सेना, नौसेना तथा वायु सेना में कंबेटेंट अथवा नॉन कंबेटेंट कर्मी के रूप में किसी भी रैंक में सेवा की है और जो अपने अनुरोध पर या पेंशन प्राप्त कर लेने के उपरांत नियोजक द्वारा सेवानिवृत, कार्यमुक्त या सेवा मुक्त हुआ हो।

नोट - IV: प्रत्येक सेवा के कार्यात्मक वर्गीकरण (एफसी) एवं शारीरिक अपेक्षाओं (PR) के ब्यौरे इस नियमावली के अनुबंध-1 में दर्शाए गए हैं जिन्हें संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों (CCAs) द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 33 और 34 के प्रावधानों के अनुसार चिह्नित और निर्धारित किया गया है। बेंचमार्क दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) श्रेणी के व्यक्तियों के तहत केवल अनुबंध- 1 में वर्णित दिव्यांगता की श्रेणी वाले उम्मीदवार परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे। अतः बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को इस परीक्षा के लिए आवेदन करने से पहले इसे ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी जाती है।

नोट V: उपर्युक्त नियम 3 (II)(ग)(vi) के अंतर्गत आयु में छूट के बावजूद बेंचमार्क दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) उम्मीदवार की नियुक्ति हेतु पात्रता पर तभी विचार किया जा सकता है जब वह (सरकार या नियोक्ता प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित शारीरिक परीक्षण के बाद) सरकार द्वारा बेंचमार्क दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) उम्मीदवारों को आबंटित संबंधित सेवाओं/पदों के लिए निर्धारित शारीरिक एवं चिकित्सा मानकों की अपेक्षाओं को पूरा करता हो।

नोट VI: किसी भी उम्मीदवार को समुदाय संबंधी आरक्षण का लाभ, उसकी जाति को केन्द्र सरकार द्वारा जारी आरक्षित समुदाय संबंधी सूची में शामिल किए जाने पर ही मिलेगा। उम्मीदवार केवल उसी मामले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) का लाभ लेने के पात्र होंगे, जब वे केंद्र सरकार द्वारा जारी मानदंडों को पूरा करते हैं और उनके पास ऐसे पात्रता प्रमाण-पत्र हैं। यदि कोई उम्मीदवार अपने इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2027 आवेदन

पत्र में यह इंगित करता/करती है कि वह सामान्य श्रेणी से संबंधित है, परंतु बाद में वह अपनी श्रेणी को आरक्षित श्रेणी में परिवर्तित करने के लिए आयोग को लिखता है, तो इस प्रकार के अनुरोध पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, उम्मीदवार ने यदि एक बार आरक्षित श्रेणी का चयन कर लिया है, तो किसी अन्य आरक्षित श्रेणी, जैसे कि - अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति से अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अथवा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से अन्य पिछड़ा वर्ग में परिवर्तित किए जाने के अनुरोध पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अंतिम परिणाम की घोषणा कर दिए जाने के उपरांत, परीक्षा के प्रत्येक चरण में सामान्य मानदण्डों पर अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को छोड़कर, आरक्षित श्रेणी के किसी भी उम्मीदवार को अपनी श्रेणी को आरक्षित से अनारक्षित में तब्दील करने (उनके अनुरोध पर या उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार) या अनारक्षित श्रेणी की रिक्तियों (सेवा/संवर्ग) के संबंध में दावा करने की अनुमति नहीं होगी। **जिन मामलों में ऐसे उम्मीदवार सामान्य मानक पर अर्हता प्राप्त नहीं करते, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।**

इसके अलावा, किसी भी उप श्रेणी के बेंचमार्क दिव्यांगता वाले किसी भी व्यक्ति को (पीडब्ल्यूबीडी) अपनी दिव्यांगता की उप श्रेणी बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ईडब्ल्यूएस/बेंचमार्क दिव्यांगता/पूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध आरक्षण/छूट के लाभ के इच्छुक उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि वे नियमावली/नोटिस में विहित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण/छूट के पात्र हैं। उनके पास अपने दावे के समर्थन में नियमावली/नोटिस में निर्धारित प्रपत्र में सभी अपेक्षित प्रमाण-पत्र अंतिमतारीख तक मौजूद होने चाहिए। (बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 15 जून, 2017 की अधिसूचना के अनुबंध-III में वर्णित प्रपत्र V से प्रपत्र VII (यथालागू) के अनुरूप तथा निर्धारित प्रारूप में ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2027 का कोई उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के लाभ का पात्र तभी माना जाएगा यदि वह केंद्र सरकार द्वारा जारी शर्तों को पूरा कर रहा हो और उसके पास वित्त वर्ष 2025-2026 की आय के आधार पर अपेक्षित आय एवं सम्पति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जोकि दिनांक 01.04.2026 को/के पश्चात् (वित्त वर्ष 2025-26 की समाप्ति के बाद) जारी हुआ हो, परन्तु इंजीनियरी सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2027 के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात् दिनांक 06.10.2026 के बाद का न हो।

इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2027 के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से वित्त वर्ष 2025-2026, 2024-2025 तथा 2023-2024 के दौरान की आय के आधार पर अ.पि.व. (नॉन-क्रीमी

लेयर) प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जोकि दिनांक 01.04. 2026 को/के पश्चात् (वित्त वर्ष 2025-26की समाप्ति के बाद) जारी हुआ हो परन्तु इंजीनियरी सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2027 के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात् दिनांक 06.10.2026 के बाद का न हो।

हालांकि उपर्युक्त सिद्धांत का सामान्य रूप से पालन किया जाएगा, फिर भी कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं, जिनमें किसी समुदाय विशेष को आरक्षित समुदायों की किसी भी सूची में शामिल करने के संबंध में सरकारी अधिसूचना जारी किए जाने और उम्मीदवार द्वारा आवेदन करने की तारीख के समय के बीच अधिक से अधिक तीन महीने का अंतर रहा हो। ऐसे मामलों में, समुदाय को सामान्य से आरक्षित समुदाय में परिवर्तित करने संबंधी अनुरोध पर आयोग द्वारा मेरिट के आधार पर विचार किया जाएगा। परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान किसी उम्मीदवार के बेंचमार्क दिव्यांग होने के खेदपूर्ण मामले में उम्मीदवार को ऐसे मान्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिनमें इस तथ्य का उल्लेख हो कि वह दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी), 2016 के अंतर्गत यथापरिभाषित 40% अथवा इससे अधिक दिव्यांगता (केवल अल्प दृष्टि, बधिरता एवं ऊंचा सुनना, लोकोमोटर दिव्यांगता सहित कुष्ठ उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमला पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, विनिर्दिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रुग्णता के मामले में) से ग्रस्त है, ताकि उन्हें बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित आरक्षण का लाभ प्राप्त हो सके सके, बशर्ते संबंधित उम्मीदवार पैरा 11 के अनुसार इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2027 के लिए अन्यथा पात्र हो और आयोग ऐसे मामलों में मेरिट के आधार पर निर्णय ले सके।

विशेष ध्यान दें: जिस उम्मीदवार को उपर्युक्त पैरा 3 (II)(ख) में उल्लिखित आयु संबंधी छूट देकर परीक्षा में प्रवेश दिया गया है, उसकी उम्मीदवारी उस स्थिति में रद्द कर दी जाएगी यदि आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत कर देने के बाद वह परीक्षा देने से पहले या बाद में सेवा से त्याग पत्र दे देता है या उसके विभाग/कार्यालय द्वारा उसकी सेवा समाप्त कर दी जाती है। किन्तु आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने के बाद यदि उसकी सेवा या पद से छंटनी हो जाती है तो वह परीक्षा देने का पात्र बना रहेगा।

जो उम्मीदवार अपना आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत कर देने के बाद किसी अन्य विभाग/कार्यालय में स्थानान्तरित हो जाता है वह भी विभाग की आयु संबंधी छूट लेकर प्रतियोगिता में सम्मिलित होने का पात्र रहेगा।

उपर्युक्त व्यवस्था के अलावा निर्धारित आयु-सीमा में किसी भी स्थिति में छूट नहीं दी जाएगी।

आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण-पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्टर में उद्धृत की गई हो और वह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या उम्मीदवार उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसकी समकक्ष परीक्षा में दर्ज हो। ये प्रमाण-पत्र, जो परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों द्वारा समान आवेदन प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करने होंगे।

आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुंडली, शपथ-पत्र, नगर निगम से और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण तथा अन्य ऐसे ही प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अनुदेशों के इस भाग में आए हुए

"मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र" वाक्यांश के अंतर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण-पत्र सम्मिलित हैं।

<u>नोट 1:</u> उम्मीदवारों को ध्यान में रखना चाहिए कि आयोग जन्म की उसी तिथि को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन-प्रपत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रीकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें किसी भी कारण से परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही उसे स्वीकार किया जाएगा।

<u>नोट 2:</u> उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख आवेदन प्रपत्र में एक बार देने के बाद और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद, उसमें बाद में या आयोग की किसी अन्य परीक्षा के लिए परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

<u>नोट 3:</u> उम्मीदवारों को आवेदन-प्रपत्र के संबंधित कॉलम में जन्मतिथि भरते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। यदि बाद में किसी अवस्था में जांच के दौरान उनके द्वारा भरी गई जन्म तिथि में उनके मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में दी गई जन्म तिथि से कोई भिन्नता पाई गई तो आयोग द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इस सन्दर्भ में किए जाने वाले समस्त पत्राचार में निम्नलिखित ब्यौरा होना चाहिए :-

1. परीक्षा का नाम और वर्ष।
2.यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) ।
3. आवेदन संख्या
4. अनुक्रमांक (यदि प्राप्त हुआ हो)।
5. उम्मीदवार का नाम (पूरा तथा स्पष्ट अक्षरों में)।
6. आवेदन प्रपत्र में दिया डाक का पूरा पता।
7. मान्य एवं सक्रिय पंजीकृत ई-मेल आईडी/पंजीकृत मोबाइल नंबर।

<u>**नोट 4:** उम्मीदवार यह ध्यान दे कि इंजीनियरी सेवा परीक्षा का आवेदन जमा करने के पश्चात् किसी भी स्थिति में ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में कोई परिवर्धन/विलोपन/परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। तथापि,आयोग उम्मीदवारों को अपने यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) विवरण को एक बार अद्यतन या संशोधित करने की सुविधा प्रदान करता है। कृपया ध्यान दें कि यूआरएन विवरण में किए गए बदलाव, पहले से जमा हो चुके आवेदनों में दिखाई नहीं देंगे। अद्यतन सूचना केवल उन आवेदनों पर लागू होगी, जो उम्मीदवार द्वारा आवश्यक बदलाव करने और यूआरएन विवरण को सफलतापूर्वक पुनः लॉक करने के बाद जमा किए गए हैं।</u>

(III) <u>न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता</u>:

परीक्षा में प्रवेश हेतु उम्मीदवार के पास

(क) भारत के केन्द्र या राज्य विधानमंडल द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के खंड 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में माने गए किसी अन्य शिक्षा संस्थान से इंजीनियरी में डिग्री होनी चाहिए अथवा

(ख) इंजीनियर संस्था (भारत) की संस्था परीक्षा का भाग क और ख उत्तीर्ण किया हो, अथवा

(ग) किसी ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय/कालेज/संस्था से इंजीनियरी में डिग्री/डिप्लोमा होना चाहिए, जिसे समय-समय पर इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त हो; अथवा

(घ) इलेक्ट्रॉनिकी और दूरसंचार इंजीनियर संस्था (भारत) की ग्रेजुएट मैम्बरशिप परीक्षा उत्तीर्ण की हो; अथवा

(ङ) भारतीय वैमानिकी सोसायटी की एसोशियेट मैम्बरशिप परीक्षा (भाग II और III/ खंड क और ख उत्तीर्ण की हो; या

(च) इलेक्ट्रॉनिकी और रेडियो संचार इंजीनियरी की संस्था (लंदन) की नवम्बर,1959 के बाद ली गई ग्रेजुएट मैम्बरशिप परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

किन्तु यह कि भारतीय नौसेना आयुध सेवा (इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी पद) एवं भारतीय रेडियो विनियामक सेवा समूह ‘क’के पदों के लिए उम्मीदवारों के पास उपर्युक्त कोई योग्यता या निम्नलिखित योग्यता हो :

भारतीय नौसेना आयुध सेवा (इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी पद) के लिए - बेतार संचार इलेक्ट्रॉनिकी, रेडियो भौतिकी या रेडियो इंजीनियरी के एक विशेष विषय सहित एमएससी डिग्री या इसके समकक्ष।

भारतीय रेडियो विनियामक सेवा समूह ‘क’ के लिए - एक विषय के रूप में बेतार संचार इलेक्ट्रॉनिकी, रेडियो भौतिकी या रेडियो इंजीनियरी के साथ एमएससी डिग्री या समकक्ष अथवा एक विशेष विषय के रूप में भौतिकी और रेडियो संचार या इलेक्ट्रॉनिकी या दूरसंचार के साथ विज्ञान में मास्टर डिग्री।

नोट 1 : शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 20-2/2019-टीसी (पार्ट) दिनांक 06 जून, 2023 के तहत यथासूचित,रिट याचिका (सिविल) 3239/2013 के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय, दिनांक 13.01.2023, के दृष्टिगत जिन उम्मीदवारों ने दिनांक 31.05.2013 के बाद इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियर्स (इंडिया) तथा ऐरोनॉटिकल सोसायटी ऑफ इंडिया में प्रवेश लेकर डिग्री/प्रमाण-पत्र प्राप्त किए हैं, उनकी डिग्री/प्रमाण-पत्र इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2027 के लिए स्वीकार्य नहीं होंगी। इसके अतिरिक्त जिन उम्मीदवारों ने दिनांक 31.05.2013 के बाद इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) में प्रवेश लेकर डिग्री/प्रमाण-पत्र प्राप्त किए हैं, उनकी पात्रता रिट याचिका संख्या 3790/2013 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में सरकार के निर्णय के अध्यधीन होगी।

नोट-2: यदि कोई उम्मीदवार ऐसी परीक्षा दे चुका हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह शैक्षिक दृष्टि से इस परीक्षा में बैठने का पात्र हो जाता है, पर अभी उसे परीक्षा के परिणाम की सूचना न मिली हो तो वह इस परीक्षा में प्रवेश

पाने के लिए आवेदन कर सकता है। जो उम्मीदवार इस प्रकार की अर्हक परीक्षा में बैठना चाहता हो वह भी आवेदन कर सकता है।ऐसे उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने दिया जाएगा जो यदि अन्यथा पात्र होंगे, परन्तु परीक्षा में बैठने की यह अनुमति अनंतिम मानी जाएगी। तथापि, ऐसे उम्मीदवारों, जिन्हें आयोग द्वारा व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार के लिए योग्य घोषित किया जाएगा, को निर्धारित समय, जो निम्नलिखित है, के भीतर अपेक्षित पात्रता परीक्षा पास करने का प्रमाण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा:-

आयोग इंजीनियरी सेवा परीक्षा की प्रधान परीक्षा/ चरण-II के परिणाम की घोषणा की तारीख के उपरान्त उन उम्मीदवारों के लिए 10 दिन की एक विंडो उपलब्ध करवाएगा जिन्होंने व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त कर ली हो। उन्हें अपनी शैक्षिक योग्यता की स्थिति को भरना होगा। जिन उम्मीदवारों के पास ऑन-लाइन आवेदन करते समय निर्धारित शैक्षिक योग्यता नहीं होगी, उन्हें अपने विवरण अद्यतित करने होंगे और अपेक्षित शैक्षिक योग्यता पास करने का प्रमाण समान आवेदन प्रपत्र मॉड्यूल पर अपलोड करना होगा, अन्यथा, ऐसे उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

नोट : इस अवधि में व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार के लिए अर्हक सभी उम्मीदवारों को अपना पत्र-व्यवहार/डाक पता, उच्चतर योग्यता, विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों, रोजगार संबंधी विवरण/सेवा अनुभव, सेवा आंबटन, सेवा वरीयता को अद्यतित करने का विकल्प भी प्रदान किया जाएगा। इस विंडो में अद्यतित किए गए विवरण अन्तिम माने जाएंगे और अन्य किसी भी प्रकार से प्राप्त इन क्षेत्रों में किसी परिवर्तन के अनुरोध पर आगे कोई विचार नहीं किया जाएगा।

नोट-3: अपवादात्मक परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकता है जिसके पास नियमावली में निर्धारित कोई अर्हता न हो, बशर्ते कि उम्मीदवार ने किसी संस्था द्वारा आयोजित कोई ऐसी परीक्षा पास की हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है।

नोट-4: जिस उम्मीदवार ने अन्यथा अर्हता प्राप्त की है किन्तु उसके पास विदेशी विश्वविद्यालय की ऐसी डिग्री है, जो सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त नहीं है, वह भी आयोग को आवेदन कर सकता है और उसे आयोग के विवेकानुसार परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है।

नोट-5: जिन आवेदकों ने आवश्यक दस्तावेज/जानकारी पहले ही अपलोड कर दी है तथा उन्हें अपडेट करने/भरने के लिए उनके पास और कोई जानकारी नहीं है, उन्हें भी लॉग-इन करना होगा और व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार के लिए ई-समन पत्र तैयार (जनरेट) करने के लिए विवरणों को सत्यापित करने के बाद अंतिम रूप से जमा करना होगा।

नोट-6: आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आगे की जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट नियमित रूप से देखें।

<u>(IV) चिकित्सा परीक्षण:</u>

इंजीनियरी सेवा परीक्षा, **2027** के आधार पर आयोग द्वारा **अंतिम तौर पर अनुशंसित उम्मीदवारों** को चिकित्सा परीक्षण कराना होगा।

(क) प्रत्येक उम्मीदवार को आयोग द्वारा अंतिम तौर पर अनुशंसित किए जाने के बाद,संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर और उनके द्वारा समुचित समझे गए तरीके से चिकित्सा परीक्षण कराना होगा, भले ही उसने विगत में ऐसा चिकित्सा परीक्षण कराया हो और उस परीक्षण के आधार पर उसे फिट/अनफिट घोषित किया गया हो। मेडिकल बोर्ड के निष्कर्षों को सभी प्रकार के आबंटन के प्रयोजनार्थ अंतिम तथा बाध्यकारी माना जाएगा।

(V) <u>शारीरिक मानक</u>:

उम्मीदवार को **इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2027** के लिए भारत के राजपत्र असाधारण दिनांक **16.09.2026** में यथा प्रकाशित **इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2027** की नियमावली के **परिशिष्ट-II** में दिए गए दिशा-निर्देशों में दिए गए शारीरिक मानकों के अनुरूप शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

4. <u>शुल्क:</u>

(क) उम्मीदवारों (महिलाओं/अ.जा./अ.ज.जा./बेंचमार्क रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों को छोड़कर जिन्हें किसी शुल्क का भुगताननहीं करना होगा) को **इंजीनियरी सेवा परीक्षा**, 2027 में उपस्थित होने के लिए <u>किसी बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का प्रयोग करते हुए या वीजा/मास्टर/रूपे क्रेडिट/डेबिट कार्ड/यूपीआई का प्रयोग कर </u>रु.200/- (दो सौ रुपए मात्र) का <u>भुगतान करना होगा।</u>

<u>नोट- 1</u> : उम्मीदवारों को नोट करना चाहिए कि शुल्क का भुगतान ऊपर निर्धारित माध्यम से ही किया जा सकता है। किसी अन्य माध्यम से शुल्क का भुगतान न तो वैध है और न ही स्वीकार्य है। निर्धारित माध्यम/शुल्क के बिना प्रस्तुत आवेदन (शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त आवेदन को छोड़कर) तत्काल अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

<u>नोट- 2</u> : एक बार शुल्क अदा किए जाने पर वापस करने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है और न ही शुल्क को किसी दूसरी परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकता है।

सभी महिला उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों से संबद्ध उम्मीदवारों को शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है। तथापि, अन्य पिछड़े वर्ग/ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों को शुल्क में छूट प्राप्त नहीं है तथा उन्हें निर्धारित शुल्क का पूर्ण भुगतान करना होगा।

बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) को शुल्क के भुगतान से छूट है बशर्ते वे इन सेवाओं/पदों के लिए मेडिकल फिटनेस (पीडब्ल्यूबीडी को दी गई किसी अन्य विशेष छूट सहित) के मानकों के अनुसार इस परीक्षा के

परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली सेवाओं पर नियुक्ति हेतु अन्यथा रूप से पात्र हों। आयु सीमा में छूट/शुल्क में छूट का दावा करने वाले बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति को अपने समान आवेदन प्रपत्र के साथ अपने शारीरिक रूप से दिव्यांग होने के दावे के समर्थन में, सरकारी अस्पताल/चिकित्सा बोर्ड से प्राप्त प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

नोट-I : आयु सीमा में छूट/शुल्क में छूट के उपर्युक्त प्रावधान के बावजूद पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार को नियुक्ति हेतु तभी पात्र माना जाएगा जब वह (सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित ऐसी किसी शारीरिक जांच के बाद) सरकार द्वारा पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार को आबंटित की जाने वाली संबंधित सेवाओं/पदों के लिए शारीरिक और चिकित्सा मानकों की अपेक्षाओं को पूरा करता हो।

नोट-II : जिन आवेदन-प्रपत्रों के साथ निर्धारित शुल्क नहीं होगा (शुल्क माफी के दावे को छोड़कर), उनको तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

5. आवेदन कैसे करें:

(क) उम्मीदवारों को केवल आयोग की वेबसाइट https://www.upsconline.nic.in का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन प्रपत्र भरने से पहले सामान्य अनुदेशों, प्रोफाइल/मॉडयूल-वार अनुदेशों और दस्तावेज अपलोड करने संबंधी अनुदेशों को ध्यान से पढ़ लें। ये अनुदेश मुख्य पृष्ठ के मेन्यू बार में उपलब्ध हैं।

इंजीनियरी सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और जन्मतिथि, श्रेणी [अर्थात अनुसूचितजाति/ अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ ईडब्ल्यूएस/ दिव्यांगजन/ पूर्व सैनिक], शैक्षिक योग्यता, आदि जैसे विभिन्न दावों के संबंध में आयोग द्वारा यथा अपेक्षित जानकारी तथा सहायक दस्तावेज यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन), समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) तथा चौथे मॉड्यूल अर्थात् परीक्षा विशिष्ट मॉड्यूल (शुल्क तथा केन्द्र आदि सहित) के साथ प्रस्तुत करने होंगे। समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) के साथ अपेक्षित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर परीक्षा के लिए उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

नोट 1: यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) विवरण को एक बार संशोधित करने की सुविधा:

आयोग उम्मीदवारों को अपने यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) विवरण को एक बार अद्यतन या संशोधित करने की सुविधा प्रदान करता है। कृपया ध्यान दें कि यूआरएन विवरण में किए गए बदलाव, पहले से जमा हो चुके आवेदनों में दिखाई नहीं देंगे। अद्यतन सूचना केवल उन आवेदनों पर लागू होगी जो उम्मीदवार द्वारा आवश्यक बदलाव करने और यूआरएन विवरण को सफलतापूर्वक पुनः लॉक करने के बाद जमा किए गए हैं।

नोट 2: समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) भरने के लिए लाइव-फोटो कैप्चर:

आवेदकों द्वारा समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) भरते समय अपनी फोटोग्राफ अपलोड करना और लाइव-फोटोग्राफ कैप्चर करना अपेक्षित है। आवेदक यह अवश्य सुनिश्चित करें कि अपलोड की गई फोटोग्राफ और कैप्चर की गई लाइव-फोटोग्राफ आयोग की वेबसाइट https://upsconline.nic.inपर उपलब्ध "अनुदेश तथा प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न" (एफएक्यू) >प्रपत्र भरने संबंधी अनुदेश >फोटो और हस्ताक्षर" में दिए गए अनुदेशों के अनुसार स्पष्ट हो।

नोट 3: हस्ताक्षर अपलोड करना

आवेदकों को सादे सफेद कागज पर काली स्याही के पेन से तीन बार (एक के नीचे एक) हस्ताक्षर करने होंगे और समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) भरते समय उसे अपलोड करना होगा। अपलोड किए गए हस्ताक्षर स्पष्ट और सुपाठ्य होने चाहिए। उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट: https://upsconline.nic.inपर "अनुदेश और प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न" के अंतर्गत उपलब्ध हस्ताक्षर अपलोड करने संबंधी अनुदेश देखने की सलाह दी जाती है।"

नोट 4:फोटो अपलोड करना

कृपया ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के मुख्य पृष्ठ पर दस्तावेज़ अपलोड करने संबंधी अनुदेशों में दिए गए फोटो अपलोड करने संबंधी अनुदेशों का पालन करें।

नोट 5: आवेदन वापस लेना:

उम्मीदवारों को आवेदन जमा करने के बाद अपने आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।इसके अलावा, आवेदन प्रपत्र जमा करने के बाद किसी भी फील्ड में किसी भी सुधार/परिवर्तन/संशोधन की अनुमति नहीं है।

नोट 6: उम्मीदवारों द्वारा यथापेक्षित समुचित तत्परता और सावधानी के साथ भरे जाने वाले विवरण में संशोधन करने के संबध में किसी प्रकार की पूछताछ, अभ्यावेदन आदि पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा क्योंकि परीक्षा प्रक्रिया को समय से पूरा किया जाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

नोट 7: उम्मीदवार के पास किसी एक फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ मतदाता पहचान पत्र/ पैन कार्ड/ पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेंस/ राज्य/ केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य फोटो पहचान पत्र का विवरण भी होना चाहिए। उम्मीदवार को अपना यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) विवरण भरते समय इस फोटो पहचान पत्रका विवरण उपलब्ध कराना होगा। इस फोटो आईडी का उपयोग सभी भावी संदर्भों के लिए किया जाएगा और उम्मीदवार को परीक्षा के लिए उपस्थित होते समय इस पहचान पत्र को साथ ले जाने की सलाह दी जाती है।

<u>नोट 8:</u> सभी उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र आयोग को सीधे भेजने चाहिए चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हो या सरकार के स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रमों में या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या निजी रोजगार में हों। हालांकि जो व्यक्ति पहले से सरकारी सेवा में हैं, चाहे वे स्थायी या अस्थायी क्षमता में हो या कार्य प्रभारित कर्मचारी हों (आकस्मिक या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों अथवा सार्वजनिक उद्यमों के तहत सेवा देने वालों को छोड़कर) उन्हें लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित करना होगा कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है।उम्मीदवार ध्यान दें कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उक्त परीक्षा के लिए उनके आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से सम्बद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन प्रपत्र अस्वीकृत किया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

नोट-9: उम्मीदवार को अपना परीक्षा विशिष्ट प्रपत्र भरते समय परीक्षा हेतु अपनी पसंद के केंद्र और इंजीनियरी विषय के संबंध में सावधानीपूर्वक निर्णय लेना चाहिए।

यदि कोई उम्मीदवार आयोग द्वारा प्रेषित उनके ई-प्रवेश पत्र में दर्शाये गये केन्द्र/इंजीनियरी विषय से इतर केन्द्र/विषय में परीक्षा हेतु बैठता है तो उस उम्मीदवार के पेपरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी।

<u>नोट–10:</u> अल्प दृष्टि और लोकोमोटर दिव्यांग उम्मीदवारों जिनके लिखने वाले मुख्य हाथ की कार्य-निष्पादन क्षमता (लेखन) कार्य निष्पादन की गति को धीमा कर देने की सीमा तक प्रभावित (न्यूनतम 40% प्रभावित) है, द्वारा स्क्राइब के उपयोग के संबंध में जानकारी के लिए ऑनलाइन आवेदन में उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं।

<u>नोट-11:</u> अधूरे या गलत भरे आवेदन पत्रों को तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में ऐसी अस्वीकृति के संबंध में अभ्यावेदन या पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जाएगा।

<u>नोट- 12:</u> उम्मीदवारों को अपने आवेदन का प्रिंट आउट भेजने की आवश्यकता नहीं है। **परीक्षा में आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों, अर्थात लिखित परीक्षा तथा व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार, जिनके लिए आयोग ने उन्हें प्रवेश दिया है, में उनका प्रवेश पूर्णत: अनंतिम होगा तथा उनके द्वारा निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन होगा। यदि लिखित परीक्षा अथवा व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार के पहले या बाद में किसी समय सत्यापन करने पर यह पता चलता है कि वे पात्रता की किन्हीं शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।**

6. उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) तथा समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) के माध्यम से आयोग को प्रस्तुत करने के लिए तैयार रखें:

क.		आयु का प्रमाण-पत्र।
ख.		शैक्षिक योग्यता का प्रमाण-पत्र।
ग.		अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित होने के दावे, जहां भी लागू हो, के समर्थन में प्रमाण-पत्र।
घ.		आयु/शुल्क में छूट के दावे, जहां लागू हो, के समर्थन में प्रमाण-पत्र।
ङ		बेंचमार्क दिव्यांगता (जहां लागू हो) के समर्थन में प्रमाण-पत्र ।

7. मूल प्रमाण पत्र व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगे। उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार पत्र भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी किए जाएंगे।

8. यदि उनके द्वारा किए गए दावे सही नहीं पाए जाते हैं तो आयोग द्वारा भारत के **राजपत्र असाधारण दिनांक 16 सितंबर, 2026 में अधिसूचित इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2027 की नियमावली के नियम 11, जो नीचे पुन: उद्धृत है**, के अनुसार उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है :-

(1) जो उम्मीदवार निम्नांकित कदाचार का दोषी है या आयोग द्वारा दोषी घोषित हो चुका है:-

(क) निम्नलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अर्थात्:

(i) गैरकानूनी रूप से पारितोषण की पेशकश करना, या

(ii) दबाव डालना, या

(iii) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा

(ख) नाम बदलकर परीक्षा देना, अथवा

(ग) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्यसाधन कराना, अथवा

(घ) जाली /गलत प्रमाण -पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना जिनमें तथ्यों से छेड़छाड़ की गई हो, अथवा

(ड.) आवेदन प्रपत्र में वास्तविक फोटो/हस्ताक्षर के स्थान पर असंगत फोटो/हस्ताक्षर अपलोड करना।

(च) गलत या झूठे वक्तव्य देना या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना, अथवा

(छ) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग करना, अर्थात्:

(i) अनुचित तरीके से प्रश्न-पत्र की प्रति प्राप्त करना;

(ii) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना;

(iii) परीक्षकों को प्रभावित करना; या

(ज) परीक्षा के दौरान उम्मीदवार के पास अनुचित साधनों का पाया जाना अथवा उनका उपयोग करते पाए जाना; अथवा

(झ) उत्तर पुस्तिकाओं पर अभद्र बातें लिखना या भद्दे रेखाचित्र बनाना अथवा असंगत बातें लिखना; अथवा

(ञ) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को फाड़ना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसी ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है; अथवा

(ट) परीक्षा के संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान करना या धमकी देना या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाना; अथवा

(ठ) परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन (चाहे वह स्विच ऑफ ही क्यों न हो), पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रोग्राम किए जा सकने वाला डिवाइस या पेन ड्राइव जैसा कोई स्टोरेज मीडिया, स्मार्ट वॉच इत्यादि या कैमरा या ब्लूटूथ डिवाइस या कोई अन्य उपकरण या संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य संबंधित उपकरण, (चाहे वह बंद हो या चालू), का प्रयोग करते हुए या आपके पास पाया जाना; अथवा

(ड) परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवार को भेजे गए ई-प्रवेश पत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन करना; अथवा

(ढ) उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य द्वारा, जैसा भी मामला हो, अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो,

तो उस पर आपराधिक अभियोजन/समय-समय पर संशोधित लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत उचित समझी जाने वाली कानूनी कार्रवाई लिए जाने के अतिरिक्त उसे आयोग द्वारा इस नियमावली के अन्तर्गत परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है और/अथवा उसे स्थायी रूप से अथवा निर्दिष्ट अवधि के लिए:

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन से विवर्जित किया जा सकता है।

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से विवर्जित किया जा सकता है।

यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक:

(i) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया जाए, और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार न कर लिया जाए।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो आयोग द्वारा उक्त खंड (क) से (ड) में उल्लिखित कुकृत्यों में से किसी कुकृत्य को करने में किसी अन्य उम्मीदवार के साथ मिलीभगत या सहयोग का दोषी पाया जाता है, उसके विरुद्ध उक्त खंड (ढ) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

<u>**नोट**</u>: यदि कोई उम्मीदवार अपने पास **प्रतिबंधित वस्तु** रखते या अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए पाया जाता है, तो यह घटना परीक्षा से जुड़े पदाधिकारियों के संज्ञान में आते ही उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में आगे बैठने की अनुमति नही दी जाएगी और आयोग के परामर्श से उम्मीदवार के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, उम्मीदवार को उक्त परीक्षा के बाद के पेपरों में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

9. <u>आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख:</u>

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र **06 अक्टूबर, 2026 को सायं 6.00 बजे** तक भरे जा सकते हैं। इसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी विस्तृत अनुदेश **<u>परिशिष्ट-II क</u>** में प्रदान किए गए हैं।

10. <u>आयोग के साथ पत्र-व्यवहार:</u>

निम्नलिखित मामलों को छोड़कर आयोग अन्य किसी भी मामले में उम्मीदवार के साथ पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।:

(i) पात्र उम्मीदवारों को ई-प्रवेश पत्र परीक्षा होने से पूर्व परीक्षा की तारीख के पहले सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस को जारी किया जाएगा। **इसके अतिरिक्त जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा की तारीख से सात (07) दिन पहले स्क्राइब को बदलने का विकल्प चुना हो, उन्हें परीक्षा की तारीख से 03 (तीन) दिन पहले ई-प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा।** उम्मीदवारों द्वारा डाउनलोड करने के लिए ई-प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट [<u>https://upsconline.nic.in</u>] पर उपलब्ध होंगे। डाक द्वारा कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा।

(ii) यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा प्रारंभ होने से एक सप्ताह पूर्व ई-प्रवेश पत्र अथवा उसकी उम्मीदवारी से संबद्ध कोई अन्य सूचना न मिले तो उसे आयोग से तत्काल संपर्क करना चाहिए। इस संबंध में जानकारी आयोग परिसर में स्थित सुविधा काउन्टर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष संख्या 011-24041001/011-40303444 से भी प्राप्त की जा सकती है। **यदि किसी उम्मीदवार से ई-प्रवेश पत्र प्राप्त न होने के संबंध में कोई सूचना आयोग कार्यालय में परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होती है तो ई-प्रवेश पत्र प्राप्त न होने के लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार होगा।**

सामान्यत: किसी भी उम्मीदवार को ई-प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई-प्रवेश पत्र प्राप्त होने पर इसकी सावधानीपूर्वक जांच कर लें तथा किसी प्रकार की विसंगति/त्रुटि होने पर आयोग को तुरंत इसकी जानकारी दें।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा में उनका प्रवेश उनके द्वारा आवेदन प्रपत्र में दी गई जानकारी के आधार पर पूर्णतः अनंतिम रहेगा। यह आयोग द्वारा पात्रता की सभी शर्तों के सत्यापन के अध्यधीन होगा।

(iii) **किसी उम्मीदवार को उक्त परीक्षा के लिए ई-प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से ठीक मान ली गई है या किसी उम्मीदवार द्वारा इंजीनियरी सेवा परीक्षा के लिए** यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन), समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) और परीक्षा विशिष्ट मॉड्यूल **में की गई प्रविष्टियां आयोग द्वारा सही और ठीक मान ली गई हैं। उम्मीदवार ध्यान रखें कि आयोग, उम्मीदवार द्वारा परीक्षा के**

लिखित भाग के परिणाम के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त कर लेने के बाद ही उसकी पात्रता की शर्तों का मूल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन करता है। आयोग द्वारा औपचारिक रूप से उम्मीदवारी की पुष्टि किए जाने तक संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी अनंतिम रहेगी।

उम्मीदवार के आवेदन प्रपत्र की स्वीकार्यता तथा वह उक्त परीक्षा में प्रवेश का पात्र है या नहीं, इस बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

उम्मीदवार ध्यान रखें कि ई-प्रवेश पत्र में कहीं-कहीं तकनीकी कारणों से नाम संक्षिप्त रूप में लिखे जा सकते हैं।

(iv) यदि उम्मीदवार को प्रक्रियागत चूक के कारण किसी दूसरे उम्मीदवार से संबंधित ई-प्रवेश पत्र मिल जाए तो उसे आयोग को तत्काल सूचित करना चाहिए तथा सही ई-प्रवेश पत्र जारी करने का अनुरोध करना चाहिए। उम्मीदवारों को यह नोट कर लेना चाहिए कि उन्हें किसी दूसरे उम्मीदवार के लिए जारी ई-प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(v) **उम्मीदवार यह सुनिश्चित अवश्य कर लें कि आवेदनों में उनके द्वारा दी गई ई-मेल आईडी मान्य और सक्रिय हो।**

महत्वपूर्ण : आयोग के साथ सभी पत्र-व्यवहार में निम्नलिखित विवरण अनिवार्य रूप से होना चाहिए:

1. परीक्षा का नाम और वर्ष।
2. यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन)।
3. आवेदन संख्या।
4. अनुक्रमांक (यदि प्राप्त हो चुका हो)।
5. उम्मीदवार का नाम (पूरा तथा बड़े अक्षरों में)।
6. आवेदन प्रपत्र में दिया गया डाक का पूरा पता।
7. मान्य और सक्रिय पंजीकृत ई-मेल आईडी/पंजीकृत मोबाइल संख्या।

विशेष ध्यान दें:(i) जिन पत्रों में यह ब्यौरा नहीं होगा, संभव है कि उन पर ध्यान न दिया जाए।

विशेष ध्यान दें: (ii) यदि किसी परीक्षा की समाप्ति के बाद किसी उम्मीदवार का पत्र/पत्रादि प्राप्त होता है जिसमें उसका पूरा नाम और अनुक्रमांक नहीं दिया गया है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

11. <u>विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए चिन्हित दिव्यांगता की श्रेणियों/उप श्रेणियों का विवरण (कार्यात्मक वर्गीकरण तथा शारीरिक अपेक्षाएं):</u>

"बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों हेतु विचार किए जाने के लिए 40 प्रतिशत (40%)

अथवा इससे अधिक दिव्यांगता होनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के मामले में, कार्यात्मक वर्गीकरण उन संबंधित सेवाओं/पदों की अपेक्षाओं के अनुरूप होगा, जिनका विवरण अनुबंध-I में दिया गया है। तथापि, ऐसे उम्मीदवारों को अनुबंध-I में उल्लिखित शारीरिक अपेक्षाओं/क्षमताओं को पूरा करना होगा तथा अनुबंध-III में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।"

12. प्रतिभा सेतु पोर्टल (पूर्ववर्ती - सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना) :-

रोजगार के अवसरों तक बेरोजगार व्यक्तियों की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित नीति के अनुसार, परीक्षा के अंतिम चरण (साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण) में उपस्थित, लेकिन अनुशंसित नहीं हुए उम्मीदवारों की जानकारी आयोग की वेबसाइट के विशिष्ट पोर्टल पर किसी भी पंजीकृत निजी कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सांविधिक और भारत सरकार के स्वायत्त संगठनों को उपलब्ध कराई जाएगी ताकि रोजगार प्रदान करने के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान की जा सके। उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता, संपर्क संख्या, पर्सेंटाइल (पूर्ण या प्रतिशत अंक नहीं) सहित उनके विवरण आदि के साथ उनका संक्षिप्त जीवन वृत्त भी इस विशिष्ट पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस पोर्टल पर उपलब्ध डेटा केवल इन पंजीकृत संगठनों हेतु रोजगार के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ ही होगा। ये सूचियां अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद आरक्षित सूची उपयोग में लाए जाने/समाप्त हो जाने के बाद उपलब्ध कराई जाएंगी। यह नोट कर लिया जाए कि आंशिक प्रकटन का कोई विकल्प नहीं है और एक बार विकल्प दिए जाने के बाद परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

उम्मीदवारों को, परीक्षा संबंधी विशिष्ट मॉड्यूल भरते समय इस संबंध में अपनी सहमति देनी होगी। उम्मीदवार, उक्त योजना में शामिल नहीं होने का विकल्प भी चुन सकते हैं। ऐसा करने पर आयोग द्वारा उनके विवरण का प्रकटन नहीं किया जाएगा।

आयोग द्वारा परीक्षाओं के गैर-अनुशंसित इच्छुक उम्मीदवारों के बारे में जानकारी साझा करने के अतिरिक्त, इस विषय में आयोग की कोई जिम्मेदारी अथवा दायित्व नहीं होगा कि उम्मीदवारों से संबंधित जानकारियों का इस्तेमाल, इन पंजीकृत संगठनों द्वारा किस प्रकार से तथा किस रूप में किया जाता है।

13. अंकों का पूर्णांकन तथा टाई-ब्रेकिंग सिद्धांत

अंकों के पूर्णांकन से संबंधित प्रावधान, जहां भी लागू हों तथा अंक संबंधी टाई के मामलों के समाधान हेतु सिद्धांत निम्नानुसार होंगे :-

(क) अंकों का पूर्णांकन:

परीक्षा के सभी चरण (चरणों) में, उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को, मानक पूर्णांकन सिद्धांत लागू करते हुए, जहाँ

भी लागू हों, दो दशमलव अंकों तक पूर्णांकित किया जाएगा। तदनुसार, टाई ब्रेकिंग सिद्धांतों को लागू करते समय, टाई के सभी मामलों को हल करने के लिए दो दशमलव अंकों तक पूर्णांकित अंकों पर विचार किया जाएगा।

(ख) <u>टाई-ब्रेकिंग सिद्धांत:</u>

(i) यदि कुल अंक (अंतिम अंक) बराबर हैं, तो इंजीनियरी विषय के तीनों पेपरों (**"चरण-I : पेपर-II**-सिविल इंजीनियरी/यांत्रिक इंजीनियरी/विद्युत इंजीनियरी/इलेक्ट्रॉनिकी एवं दूरसंचार इंजीनियरी") तथा **चरण-II :पेपर-I एवं II** – सिविल इंजीनियरी/ यांत्रिक इंजीनियरी/ विद्युत इंजीनियरी/ इलेक्ट्रॉनिकी एवं दूरसंचार इंजीनियरी") तथा व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार के अंकों को मिलाकर अधिक अंक प्राप्त करने वाले को उच्चतर रैंक दी जाए (ii) यदि उपरोक्त (i) में अंक समान हैं, तो इंजीनियरी विषय के तीनों पेपरों (**"चरण-I : पेपर-II**-सिविल इंजीनियरी/यांत्रिक इंजीनियरी/विद्युत इंजीनियरी/इलेक्ट्रॉनिकी एवं दूरसंचार इंजीनियरी") तथा **चरण-II : पेपर-I एवं II** – सिविल इंजीनियरी/ यांत्रिक इंजीनियरी/विद्युत इंजीनियरी/इलेक्ट्रॉनिकी एवं दूरसंचार इंजीनियरी" को मिलाकर) के कुल अंकों को मिलाकर अधिक अंक प्राप्त करने वाले को उच्चतर रैंक दी जाएगी;

(iii) यदि उपरोक्त (i) तथा (ii) में भी अंक समान हैं, तो आयु में वरिष्ठ उम्मीदवार को उच्चतर रैंक दी जाएगी; तथा

(iv) जिन मामलों में उपर्युक्त टाई-ब्रेकिंग सिद्धांतों का प्रयोग करने के पश्चात भी टाई की स्थिति बनी रहती है तब उनका समाधान आयोग के विवकानुसार किया जाएगा।

14. <u>आवेदन वापस लेना</u>:

उम्मीदवारों को आवेदन प्रस्तुत करने के बाद अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं है।

(जितेंद्र कुमार मंडल)
अवर सचिव (परीक्षा)
संघ लोक सेवा आयोग

अनुबंध-1

शारीरिक अपेक्षाओं तथा कार्यात्मक वर्गीकरण सहित बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी के व्यक्तियों के लिए चिन्हित उपयुक्त सेवाओं/पदों की सूची

क्र. सं.	सेवाओं का नाम	कार्यात्मक विवरण	शारीरिक अपेक्षाएं
श्रेणी I - सिविल इंजीनियरी			
1.	केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा	ओए या ओएल या ऊंचा सुनना	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार।
2.	भारतीय रक्षा इंजीनियरी सेवा (सिविल इंजीनियरी)	पीडी या ओए	बी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एसई, एच एवं आरडब्ल्यू
3.	केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा समूह 'क'	ओए, ओएल, कुष्ठ उपचारित, तेजाबी हमले से पीडित, बौनापन, एचएच, एसएलडी, ओए एवं पीडी, ओएल एवं पीडी	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आर, डब्ल्यू एवं आरडब्ल्यू
4.	केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क'	ओए या ओएल या पीडी/ ऊंचा सुनना	बी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एसई, एच, आरडब्ल्यू, डी एवं डब्ल्यू
5.	सीमा सड़क संगठन में सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल)	ओए	बी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एसई, एच एवं आर डब्ल्यू, सी, केसी
6.	सैन्य इंजीनियर	पीडी या ओए	बी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एसई, एच एवं आरडब्ल्यू

	सेवा(एमईएस) सर्वेयर संवर्ग में ए.ई.ई.(क्यूएस एंड सी)		
7.	भारतीय सर्वेक्षण विभाग समूह "क" सेवा	पीडी	एफ, पीपी, एल, केसी, बी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एसई एवं आरडब्ल्यू
8.	भारतीय कौशल विकास सेवा	क) बी,एलवी ख) डी,एचएच ग) ओए, बीए,ओ एल, बीएल, ओएएल, सीपी, एलसी, डी डब्ल्यू, एएवी, एमडीवाई घ) एमआई ड) एमडी जिसमें उपयुक्त (क) से (घ) शामिल हैं	एस, एसटी, डब्ल्यू,बीएन, आर डब्ल्यू,एस ई, एच, सी, एम एफ
9.	आईआरएमएस (सिविल)	एलडी-ओए/ओएल, कुष्ठ उपचारित, तेजाबी हमला पीड़ित	एस,एसटी,बीएन,डब्ल्यू,एसई,एमएफ,सी,आरडब्ल्यू,केसी,सीएल,जेयू,एच
		ऊंचा सुनना	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडब्ल्यू, केसी, सीएल, जेयू, एच (श्रवण यंत्रों के साथ स्वीकार्य)
10.	आईआरएमएस (भंडार) सिविल इंजीनियरी	एलडी-ओए/ओएल, कुष्ठ उपचारित, तेजाबी हमला पीड़ित	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडब्ल्यू, एच
		ऊंचा सुनना	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडब्ल्यू,

			केसी, सीएल, जेयू, एच (श्रवण यंत्रों के साथ स्वीकार्य)
श्रेणी - ।। यांत्रिक इंजीनियरी			
1.	केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा समूह 'क'	ओए या ओएल, कुष्ठ उपचारित, तेजाबी हमला पीड़ित, बौनापन, ऊंचा सुनना, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता, ओए एवं पीडी, ओएल एवं पीडी	एस,एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आर, डब्ल्यू एवं आरडब्ल्यू
2.	केन्द्रीय पावर इंजीनियरी सेवा समूह (यांत्रिक इंजीनियरी पद)	क) डी, एचएच ख) ओए,ओएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी ग) एसएलडी, एमआई घ) एमडी उपर्युक्त (क) से (ग) सहित	एसटी, एस, एसई, एमएफ, बीएन, केसी, एच.सी, डब्ल्यू, एल, आरडब्ल्यू
3.	भारतीय नौसेना आयुध सेवा	ओएल	एस, एसई, एच एवं आरडब्ल्यू
4.	भारतीय नौसेना सामग्री प्रबंधन सेवा	ओएल	एस, एसई, एच एवं आरडब्ल्यू
5.	भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण इंजीनियरी सेवा समूह "क" में सहायक कार्यकारी	क) बधिर, ऊंचा सुनना ख) ओए, ओएल, डब्लू, एएवी, एसआई तंत्रिका संबंधी/अंग की शिथिलता के बिना	एस, एसटी, एमएफ, एसई, बीएन, केसी, एच, सी

	इंजीनियर	ग) एसएलडी, एमआई घ) एमडी जिसमें उपयुक्त (ख) से (ग) शामिल हैं	
6.	भारतीय रक्षा इंजीनियरी सेवा (यांत्रिक इंजी.)	पीडी या ओए	बी, एस, एसटी, बी, डब्ल्यू, एसई, एच एवं आरडब्ल्यू
7.	सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा समूह 'क' के अंतर्गत सहायक कार्यकारी अभियंता समूह 'क' (विद्युत या यांत्रिक) (यांत्रिक इंजी. पद)	ओए	बी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एसई, एच एवं आरडब्ल्यू, सी, केसी
8	केन्द्रीय विद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियरी सेवा	ओएल अथवा एचएच	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार।
9	भारतीय कौशल विकास सेवा	क) बी,एलवी ख) डी,एचएच ग) ओए, बीए,ओ एल, बीएल, ओएएल, सीपी, एलसी, डी डब्ल्यू, एएवी, एमडीवाई घ) एमआई ड) एमडी जिसमें उपयुक्त (क) से (घ) शामिल हैं	एस, एसटी, डब्ल्यू,बीएन, आर डब्ल्यू,एस ई, एच, सी, एम एफ

10	आईआरएमएस (यांत्रिक)	एलडी – ओए/ओएल, कुष्ठ उपचारित, तेजाबी हमला पीड़ित	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडब्ल्यू, केसी, सीएल, जेयू, एच
11	आईआरएमएस (भंडार) यांत्रिक इंजीनियरी	एलडी – ओए/ओएल, कुष्ठ उपचारित, तेजाबी हमला पीड़ित	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडब्ल्यू, एच
		ऊंचा सुनना	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडब्ल्यू, केसी, सीएल, जेयू, एच (श्रवण यंत्रों के साथ स्वीकार्य)
श्रेणी - ।।। - विद्युत इंजीनियरी			
1.	केन्द्रीय विद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी सेवा (विद्युत इंजीनियरी)	ओएल या ऊंचा सुनना	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार।
2.	केन्द्रीय पावर इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क' (विद्युत इंजीनियरी पद)	क) डी, एचएच ख) ओएल, सीपी, डीडब्ल्यू, एएवी ग) एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई घ) एमडी जिसमें (क) से (ग) शामिल हैं।	एस, एसटी, बीएन, एसई, डब्ल्यू, एमएफ, पीपी, एल, केसी, सी, आरडब्ल्यू
3.	भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा (विद्युत इंजीनियरी)	पीडी या ओए	बी, एस, एसटी, डब्ल्यू, एसई, एच एवं आरडब्ल्यू

4.	भारतीय नौसेना सामग्री प्रबंधन सेवा	ओएल	एस, एसई, एच एवं आरडब्ल्यू
5.	भारतीय नौसेना आयुध सेवा	ओएल	एस, एसई, एच एवं आरडब्ल्यू
6	भारतीय कौशल विकास सेवा	क) बी,एलवी ख) डी,एचएच ग) ओए, बीए,ओ एल, बीएल, ओएएल, सीपी, एलसी, डी डब्ल्यू, एएवी, एमडीवाई घ) एमआई ङ) एमडी जिसमें उपयुक्त (क) से (घ) शामिल हैं	एस, एसटी, डब्ल्यू,बीएन, आर डब्ल्यू,एस ई, एच, सी, एम एफ
7.	आईआरएमएस (विद्युत)	एलडी –ओए, ओएल, कुष्ठ उपचारित, तेजाबी हमला पीड़ित	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडब्ल्यू, केसी, सीएल, जेयू, एच
		ऊंचा सुनना	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडब्ल्यू, केसी, सीएल, जेयू, एच (श्रवण यंत्रों के साथ स्वीकार्य)
8.	आईआरएमएस (भंडार) विद्युत इंजीनियरी	एलडी –ओए/ ओएल, कुष्ठ उपचारित, तेजाबी हमला पीड़ित	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडब्ल्यू, एच

		ऊंचा सुनना	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडब्ल्यू, केसी, सीएल, जेयू, एच (श्रवण यंत्रों के साथ स्वीकार्य)

श्रेणी – IV – इलेक्ट्रानिकी एवं दूरसंचार इंजीनियरी			
1.	भारतीय नौसेना आयुध सेवा	ओएल	एस, एसई, एच एवं आरडब्ल्यू
2.	भारतीय नौसेना सामग्री प्रबंधन सेवा	ओएल	एस, एसई, एच एवं आरडब्ल्यू
3.	भारतीय दूरसंचार सेवा, समूह क	एलवी, ओएल या ओए या एमडब्ल्यू	एफ, एस, एसटी, डब्ल्यू, एसई, एच एवं आरडब्ल्यू
4.	आईटीएस में कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी समूह ख	**एलवी**, ओएल या ओए या एमडब्ल्यू	एस, एसटी, डब्ल्यू, एसई, एच एवं आरडब्ल्यू, बीएन, एल, पीपी, सी एमएफ, ओए, ओएल, ओएएल
5.	केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी सेवा समूह 'क' (इलेक्ट्रॉनिकी एवं दूरसंचार इंजीनियरी पद)	क) डी, एचएच ख) ओएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी ग) एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई घ) एमडी जिसमें उपरोक्त (क) से (ग) शामिल हैं।	एस, एसटी, बीएन, एसई, डब्ल्यू, एमएफ, पीपी, एल, केसी, सी एवं आरडब्ल्यू

6.	भारतीय कौशल विकास सेवा	क) बी,एलवी ख) डी,एचएच ग) ओए, बीए,ओ एल, बीएल, ओएएल, सीपी, एलसी, डी डब्ल्यू, एएवी, एमडीवाई घ) एमआई ड) एमडी जिसमें उपयुक्त (क) से (घ) शामिल हैं	एस, एसटी, डब्ल्यू,बीएन, आर डब्ल्यू,एस ई, एच, सी, एम एफ
7	भारतीय रेडियो विनियामक सेवा	ओए या ओएल	एस, एच एवं आरड्ब्ल्यू/स्पीकिंग
8.	आईआरएमएस (सिग्नल एवं दूरसंचार)	एलडी –ओए/ओएल, कुष्ठ उपचारित, तेजाबी हमला पीड़ित	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडब्ल्यू, केसी, सीएल, जेयू, एच
9.	आईआरएमएस (भंडार) (सिग्नल एवं दूरसंचार)	एलडी-ओए/ओएल, कुष्ठ रोग उपचारित, तेजाबी हमले से पीड़ित	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडब्ल्यू और एच
		ऊंचा सुनना	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडब्ल्यू, केसी, सीएल, जेयू, एच (श्रवण यंत्रों के साथ स्वीकार्य)

*** इस सूची में संशोधन किया जा सकता है।**

प्रयोग किए गए संक्षिप्त रूप (निम्नांकित विवरण के अनुसार) सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. 16-15/2010-डीडी III दिनांक 29.07.2013 के विवरण के अनुसार हैं।

ओए=एक हाथ प्रभावित, ओएल=एक पैर प्रभावित, एचआई=श्रवण बाधित, पीडी=आंशिक बधिर, एमडब्ल्यू=मांसपेशीय दुर्बलता, एस=बैठना, बीएन=झुकना, एसई=देखना, आरडब्ल्यू=पढ़ना तथा लिखना,

सी=संवाद, एफ/एमएफ=उंगलियों के प्रयोग के माध्यम से, पीपी=खींचकर तथा धकेलकर, एल=उठाकर, केसी= घुटना टेकना एवं क्राउचिंग, एसटी=खड़ा होना,डब्ल्यू= चलना, एच=सुनना, जेयू= कूदना,एच(श्रवण संबंधी सहायक उपकरण के साथ स्वीकार्य=25 डेसिबल तक सुनने में सक्षम होना चाहिए) ओएच=अस्थि दिव्यांगता, एलडी=चलने में असमर्थ, सीपी=प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, एसएलडी= विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और एम आई मानसिक रुग्णता, ओएएल = एक हाथ एक पैर, सीएल = चढना, एसडी= रीढ़ की हड्डी की विकृति, एसआई= रीढ़ की हड्डी की चोट एलवी=कम दृष्टि, एमडी=एक से अधिक विकलांगता

नोट (i) : बाद में होने वाली असुविधा से बचने के लिए दिव्यांग उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आरक्षण दिए जाने हेतु उनकी अक्षमता की उप-श्रेणी को चिन्हित किया गया है |

नोट (ii) : कृपया यह भी नोट करें कि अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र उम्मीदवारों को शारीरिक दिव्यांग कोटे के अंतर्गत आरक्षित रिक्तियों का लाभ प्राप्त करने हेतु विचार किए जाने का अधिकार प्रदान नहीं करता है |

नोट (iii) : कृपया अनुबंध-III में वर्णित प्रारूप पर ही दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें |

<u>अनुबंध-II</u>

चिकित्सा परीक्षण हेतु उम्मीदवारों के लिए अन्य अतिरिक्त अनुदेश निम्नानुसार हैं:-

(i) चिकित्सा परीक्षा का कार्यक्रम/स्थान और चिकित्सा की अंतिम स्थिति(फिट/अनफिट/अंशतः अनफिट/अस्थायी रूप से अनफिट) संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। इनके संबंध में उम्मीदवारों को अलग से कोई लिखित सूचना नहीं भेजी जाएगी।

(ii) उम्मीदवारों को चिकित्सा बोर्ड रिपोर्ट-2027 के प्रपत्र की तीन प्रतियां साथ लानी होंगी। यह प्रपत्र संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा।

(iii) उम्मीदवारों को, सरकार द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान पत्र तथा पासपोर्ट आकार के तीन फोटो साथ लाने होंगे। जिन उम्मीदवारों को बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर अनुशंसित किया गया है, उन्हें निर्धारित प्रपत्रा के अनुसार उनका मूल दिव्यांगता प्रमाण पत्र तथा उसकी एक प्रतिलिपि भी लानी होगी।

<u>अनुबंध-III</u>

<u>प्रपत्र - V</u>

दिव्यांगता प्रमाण पत्र

(अंगविच्छेदन या अंगों के पूर्ण रूप से स्थायी पक्षाघात या बौनेपन और दृष्टिहीनता व्यक्तियों के मामले में)

[कृपया नियम 18 (1) देखें]

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति का पासपोर्ट आकार का सत्यापित वर्तमान फोटो (केवल चेहरा दर्शाया हो)

प्रमाण पत्र सं. दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी ____________________________ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ____________________________ जन्म तिथि ____ ____ ____ आयु _______वर्ष, पुरूष/महिला _______ (दिनांक / माह / वर्ष) पंजीकरण सं.________________________ स्थायी निवासी मकान नं. _________ वार्ड/ग्राम/ स्ट्रीट ___________ डाकघर ______________ जिला _____________ राज्य ___________ जिनका फोटोग्राफ ऊपर लगाया गया है, की ध्यानपूर्वक जांच कर ली है और मैं संतुष्ट हूं कि:

(क) वह निम्नलिखित रोग से ग्रस्त हैं:

- लोकोमोटर दिव्यांगता
- बौनापन
- दृष्टिहीनता

(कृपया जो लागू हो उसे चिन्हित करें)

(ख) उनके मामले में ....निदान है।

(ग) दिशानिर्देशों के अनुसार (दिशानिर्देशों की संख्या और जारी करने की तारीख दी जाए) वह (शरीर के अंग) के संबंध में...........% (अंकों में) .... प्रतिशत (शब्दों में) स्थायी लोकोमोटर दिव्यांगता/ बौनापन अक्षमता/दृष्टि बाधिता से ग्रस्त है।

2. आवेदक ने अपने निवास के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके नाम से दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मोहर)

<u>प्रपत्र –VI</u>

दिव्यांगता प्रमाण पत्र

(एकाधिक दिव्यांगता के मामले में)

[कृपया नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति का पासपोर्ट आकार का सत्यापित वर्तमान फोटो (केवल चेहरा दर्शाया हो)

प्रमाण पत्र सं. दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी ____________________________ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ______________________________ जन्म तिथि ____ ____ ____ आयु ____ वर्ष, पुरूष/महिला _____

(दिनांक / माह / वर्ष)

पंजीकरण सं.___________________ स्थायी निवासी मकान नं. ___________ वार्ड/ग्राम/ स्ट्रीट __________ डाकघर ____________ जिला _____________ राज्य ______________ जिनका फोटोग्राफ ऊपर लगाया गया है, की ध्यानपूर्वक जांच कर ली है और मैं संतुष्ट हूं कि

(क) वह एकाधिक दिव्यांगता से ग्रस्त हैं। उनकी स्थायी शारीरिक दिव्यांगता/दिव्यांगता की सीमा का दिशा-निर्देशों के अनुसार (.............दिशा-निर्देशों की संख्या और इन्हें जारी किए जाने की तारीख का विशेष रूप से उल्लेख किया जाए) के अनुसार मूल्यांकन किया गया है और नीचे तालिका में संगत दिव्यांगता के सामने दर्शाया गया है:

क्रम सं.	**दिव्यांगता**	**शरीर का प्रभावित अंग**	**निदान**	**स्थायी शारीरिक दिव्यांगता/ मानसिक दिव्यांगता (% में)**
1.	लोकोमोटर दिव्यांगता	@		
2.	मस्कुलर डिस्ट्रॉफी			
3.	कुष्ठ उपचारित (लेपरसी क्योर्ड)			
4.	बौनापन (ड्वार्फिज्म)			
5.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (सेरिब्रल पॉल्सी)			
6.	तेजाबी हमले से पीड़ित			
7.	अल्प दृष्टि	#		
8.	दृष्टिहीन	#		

9.	बधिर	£		
10.	ऊंचा सुनना	£		
11.	बोलना एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता (स्पीच एंड लैंग्वेज डिजेबिलिटी)			
12.	बौद्धिक दिव्यांगता (इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी)			
13.	विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता (स्पेसिफिक लर्निंग डिजेबिलिटी)			
14.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर			
15.	मानसिक रुग्णता			
16.	गंभीर तंत्रिका रोग (क्रॉनिक न्यूरॉलॉजिकल कंडीशन्स)			
17.	मल्टीपल स्क्लेरॉसिस			
18.	पार्किंसन्स रोग			
19.	हीमोफीलिया			
20.	थैलेसीमिया			
21.	सिकल सेल रोग			

(ख) उपर्युक्त के मद्देनजर, निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार (………………दिशा-निर्देशों की संख्या और इन्हें जारी किए जाने की तारीख का विशेष रूप से उल्लेख किया जाए), उनकी समग्र शारीरिक दिव्यांगता निम्नानुसार है:-

आंकड़ों में : ____________________ प्रतिशत

शब्दों में : ____ प्रतिशत

2. इस स्थिति के आगे और बढ़ने/न बढ़ने/स्थिति में सुधार होने/सुधार न होने की संभावना है।

3. दिव्यांगता का पुन: आकलन :

(i) आवश्यक नहीं है,

अथवा

(ii) ….. वर्षों …….माह के उपरांत करने की अनुशंसा की जाती है और इसलिए यह प्रमाण पत्र ………………..

तक के लिए वैध रहेगा। (दिनांक) (माह) (वर्ष)

@ उदाहरण बायां/दायां/दोनों हाथ/पैर

उदाहरण एक आंख/दोनों आंख

£ उदाहरण बायां/दायां/दोनों कान

4. आवेदक ने अपने निवास के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर

सदस्य का नाम और मोहर	सदस्य का नाम और मोहर	अध्यक्ष का नाम और मोहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके नाम से दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

प्रपत्र –VII

दिव्यांगता प्रमाण पत्र

(उन मामलों में, जिनका उल्लेख प्रपत्र V और VI में नहीं किया गया है)

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

(कृपया नियम 18(1) देखें)

दिव्यांग व्यक्ति का पासपोर्ट आकार का सत्यापित वर्तमान फोटो (केवल चेहरा दर्शाया हो)

प्रमाण पत्र सं. दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी ____________________________ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ______________________________ जन्म तिथि ____ ____ ____ आयु ____ वर्ष, पुरुष/महिला _____

(दिनांक / माह / वर्ष)

पंजीकरण सं.___________________ स्थायी निवासी मकान नं. ___________ वार्ड/ग्राम/ स्ट्रीट __________ डाकघर ____________ जिला ____________ राज्य _____________ जिनका फोटोग्राफ ऊपर लगाया गया है, की ध्यानपूर्वक जांच कर ली है और मैं संतुष्ट हूं कि वह ______________ दिव्यांगता से ग्रस्त हैं। उनकी शारीरिक अक्षमता/दिव्यांगता की सीमा की प्रतिशतततता का दिशा-निर्देशों के अनुसार (.............दिशा-निर्देशों की संख्या और इन्हें जारी किए जाने की तारीख का विशेष रूप से उल्लेख किया जाए) मूल्यांकन किया गया है और नीचे तालिका में संगत दिव्यांगता के सामने दर्शाया गया है:-

क्रम सं.	**अशक्तता**	**शरीर का प्रभावित अंग**	**निदान**	**स्थायी शारीरिक अक्षमता/ मानसिक दिव्यांगता (% में)**
1.	लोकोमोटर दिव्यांगता	@		
2.	मस्कुलर डिस्ट्रॉफी			
3.	कुष्ठ उपचारित (लेपरसी क्योर्ड)			
4.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (सेरिब्रल पॉल्सी)			
5.	तेजाबी हमले से पीड़ित			

6.	कम दृष्टि	#		
7.	बधिर	€		
8.	ऊंचा सुनना	€		
9.	बोलना एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता (स्पीच एंड लैंग्वेज डिजेबिलिटी)			
10.	बौद्धिक दिव्यांगता (इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी)			
11.	विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता (स्पेसिफिक लर्निंग डिजेबिलिटी)			
12.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर			
13.	मानसिक रुग्णता			
14.	गंभीर तंत्रिका रोग (क्रॉनिक न्यूरॉलॉजिकल कंडीशन्स)			
15.	मल्टीपल स्क्लेरॉसिस			
16.	पार्किंसन्स रोग			
17.	हीमोफीलिया			
18.	थैलेसीमिया			
19.	सिकल सेल रोग			

(जो दिव्यांगता लागू न हो कृपया उसे काट दें।)

2. इस स्थिति के आगे और बढ़ने/न बढ़ने/स्थिति में सुधार होने/सुधार न होने की संभावना है।

3. दिव्यांगता का पुन: आकलन :

(i) आवश्यक नहीं है,

अथवा

(ii) ...... वर्षों ....माह के उपरांत करने की अनुशंसा की जाती है और इसलिए यह प्रमाण पत्र ....

तक के लिए वैध रहेगा।   (दिनांक) (माह) (वर्ष)

@ उदाहरण बायां/दायां/दोनों हाथ/पैर

उदाहरण एक आंख/दोनों आंख

€ उदाहरण बायां/दायां/दोनों कान

4. आवेदक ने अपने निवास के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
(नाम और मोहर)

प्रतिहस्ताक्षर
{यदि यह प्रमाण पत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी कर्मचारी नहीं है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/ सरकारी अस्पताल के प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर (मोहर सहित)}

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके नाम से दिव्यागंता प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

नोट: यदि यह प्रमाण पत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो एक सरकारी कर्मचारी नहीं है तो यह उस जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाने पर ही मान्य होगा।

परिशिष्ट – I

खंड-I

परीक्षा की योजना

1. परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार आयोजित की जाएगी:-

(i) चरण-I: इंजीनियरी सेवा (प्रधान चरण-II) परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन करने के लिए इंजीनियरी सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार के पेपर);

(ii) चरण-II : इंजीनियरी सेवा (प्रधान) परीक्षा (परंपरागत प्रकार के पेपर) और

(iii) चरण-III : व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार

2. इंजीनियरी सेवा (प्रारंभिक/चरण-I) परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार (बहुविकल्पीय उत्तर वाले) के दो प्रश्न-पत्र होंगे जिनके अधिकतम 500 अंक (पेपर-I – 200 अंक और पेपर-II – 300 अंक) होंगे। संबंधित वर्ष की प्रारंभिक/चरण-I परीक्षा में आयोग द्वारा अर्हक घोषित उम्मीदवार ही उस वर्ष की प्रधान/चरण-II परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि वे प्रधान/चरण-II की परीक्षा में प्रवेश के लिए अन्यथा पात्र हों। प्रधान/चरण-II परीक्षा में प्रवेश के लिए अर्हक घोषित उम्मीदवारों के प्रारंभिक/ चरण-I परीक्षा में प्राप्तांकों को उनका अंतिम योग्यता क्रम निर्धारित करने के लिए गिना जाएगा। प्रधान/चरण-II परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या इस परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल अनुमानित रिक्तियों का लगभग छ: से सात गुना होगी।

नोट – I : प्रारंभिक/चरण-I परीक्षा के सामान्य अध्ययन और इंजीनियरी अभिरूचि पेपर (पेपर-I) और इंजीनियरी विषय के विशिष्ट पेपर (पेपर-II) में न्यूनतम अर्हक अंकों के मानदंड के आधार पर इंजीनियरी सेवा (प्रधान/चरण-II) परीक्षा के लिए अर्हक उम्मीदवारों की सूची आयोग द्वारा तैयार की जाएगी।

नोट– II : वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न-पत्रों में उम्मीदवार द्वारा अंकित गलत उत्तरों के लिए दंड (नेगेटिव मार्किंग) होगा।

(i) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का एक तिहाई (0.33) दंड के रूप में काटा जाएगा।

(ii) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे **गलत उत्तर** माना जाएगा, भले ही दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार उसी तरह का दंड होगा।

(iii) यदि उम्मीदवार द्वारा प्रश्न को छोड़ दिया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं होगा।

3. उम्मीदवार यह नोट कर लें कि यदि उत्तर पुस्तिका (पुस्तिकाओं) पर ऐसी असंगत सामग्री/चिह्न /अंक आदि लिखे पाए जाते हैं, जो किसी प्रश्न/उत्तर से संबंधित नहीं हैं तथा/या जिनसे उम्मीदवार की पहचान प्रकट होने की संभावना है, तो उस स्थिति में आयोग, संबंधित उम्मीदवार को अन्यथा प्रदान किए जाने वाले कुल अंकों में से शास्ति के तौर पर कुछ अंकों की कटौती करेगा या इस आधार पर ऐसी उत्तर पुस्तिका/पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं करेगा।

4.1 इंजीनियरी सेवा (प्रधान/चरण-II) परीक्षा में इंजीनियरी विषय के परंपरागत प्रकार के दो पेपर होंगे जो तीन (03) घंटे की अवधि के होंगे और अधिकतम अंक 600 (प्रत्येक पेपर के 300 अंक) होंगे।

4.2 चरण-III में व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार होगा जिसके लिए 200 अंक होंगे।

5.1 चरण-I : इंजीनियरी सेवा (प्रारंभिक) और चरण-II : इंजीनियरी सेवा (प्रधान) परीक्षा में आयोग के विवेकानुसार निर्धारित किए गए न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को चरण-III (व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार) के लिए बुलाया जाएगा। व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का लगभग दुगुना होगी। व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार के 200 अंक होंगे (कोई न्यूनतम अर्हक अंक नहीं)।

5.2 चरण-I : (प्रारंभिक/चरण-I) परीक्षा, चरण-II : (प्रधान/चरण-II) परीक्षा और चरण-III (व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार) में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर अंतिम रैंक निर्धारित की जाएगी। परीक्षा में उनकी रैंक और विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए उनके द्वारा दी गई वरीयता को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों को विभिन्न सेवाएं आबंटित की जाएंगी।

6. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों के उत्तर पत्रक भरने संबंधी प्रक्रिया सहित परम्परागत प्रकार के परीक्षणों और वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों के लिए दिनांक **16.09.2026** को आयोग की वेबसाइट(www.upsc.gov.in) पर अपलोड किए गए परीक्षा नोटिस के परिशिष्ट–III (भाग क और भाग ख) में उम्मीदवारों के लिए दिए गए विशेष अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

7. व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार के दौरान, उम्मीदवारों की नेतृत्व क्षमता, पहल तथा बौद्धिक जिज्ञासा व्यवहार कुशलता तथा अन्य सामाजिक गुणों, मानसिक तथा शारीरिक उर्जस्विता, व्यावहारिक अनुप्रयोग की शक्ति और चारित्रिक निष्ठा के मूल्यांकन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

8. परम्परागत पेपरों के उत्तर अंग्रेजी में दिए जाने चाहिए। प्रश्न-पत्र केवल अंग्रेजी में ही होंगे।

9. चरण-I : (प्रारंभिक) और चरण-II : (प्रधान) का विस्तृत पाठ्यक्रम खंड-III में दिया गया है।

खंड-II

क. चरण-I : (प्रारंभिक/चरण-I) परीक्षा

इस परीक्षा में दो पेपर होंगे:-

विषय	**अवधि**	**अधिकतम अंक**
वर्ग – I सिविल इंजीनियरी		
पेपर-I (सामान्य अध्ययन और इंजीनियरी अभिरूचि)	2 घंटे	200
पेपर -II (सिविल इंजीनियरी)	3 घंटे	300
कुल		500

विषय	**अवधि**	**अधिकतम अंक**
वर्ग – II यांत्रिक इंजीनियरी		
पेपर -I (सामान्य अध्ययन और इंजीनियरी अभिरुचि)	2 घंटे	200
पेपर -II (यांत्रिक इंजीनियरी)	3 घंटे	300
कुल		500

विषय	**अवधि**	**अधिकतम अंक**
वर्ग – III विद्युत इंजीनियरी		
पेपर -I (सामान्य अध्ययन और इंजीनियरी अभिरूचि)	2 घंटे	200
पेपर -II (विद्युत इंजीनियरी)	3 घंटे	300
कुल		500

विषय	**अवधि**	**अधिकतम अंक**
वर्ग – IV इलेक्ट्रॉनिकी तथा दूरसंचार इंजीनियरी		
पेपर -I (सामान्य अध्ययन और इंजीनियरी अभिरूचि)	2 घंटे	200
पेपर -II (इलेक्ट्रॉनिकी तथा दूरसंचार इंजीनियरी)	3 घंटे	300
कुल		500

(iii) विस्तृत पाठ्यक्रम खंड-**III** में दिया गया है।

ख. चरण-II : (प्रधान/चरण-II) परीक्षा

इस परीक्षा के दो पेपर होंगे।

विषय	**अवधि**	**अधिकतम अंक**
वर्ग – I सिविल इंजीनियरी		
पेपर -I (सिविल इंजीनियरी)	3 घंटे	300

पेपर -II (सिविल इंजीनियरी)	3 घंटे	300
कुल		600

विषय	अवधि	अधिकतम अंक
वर्ग – II यांत्रिक इंजीनियरी		
पेपर -I (यांत्रिक इंजीनियरी)	3 घंटे	300
पेपर -II (यांत्रिक इंजीनियरी)	3 घंटे	300
कुल		600

विषय	अवधि	अधिकतम अंक
वर्ग – III विद्युत इंजीनियरी		
पेपर -I (विद्युत इंजीनियरी)	3 घंटे	300
पेपर -II (विद्युत इंजीनियरी)	3 घंटे	300
कुल		600

विषय	अवधि	अधिकतम अंक
वर्ग – IV इलेक्ट्रॉनिकी तथा दूरसंचार इंजीनियरी		
पेपर -I (इलेक्ट्रॉनिकी तथा दूरसंचार इंजीनियरी)	3 घंटे	300
पेपर -II (इलेक्ट्रॉनिकी तथा दूरसंचार इंजीनियरी)	3 घंटे	300
कुल		600

ग. चरण-III (व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार) : 200 अंक

नोट-1 :- उम्मीदवारों को पेपर स्वयं लिखने होंगे। किसी भी स्थिति में उन्हें उत्तर लिखने के लिए लेखन सहायक (स्क्राइब) की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि, बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों जो **अल्पदृष्टि** से पीड़ित हैं को इच्छा व्यक्त करने पर स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(आर) के अंतर्गत परिभाषित अन्य दिव्यांगता श्रेणियों के उम्मीदवारों को स्क्राइब की सुविधा तभी प्रदान की जाएगी जब वे परिशिष्ट IV में दिए गए प्रोफार्मा में किसी सरकारी स्वास्थ्य संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिविल सर्जन/ चिकित्सा अधीक्षक से प्राप्त इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि संबंधित उम्मीदवार की लेखन क्षमता बाधित है और उसे स्क्राइब की सहायता की आवश्यकता है जो उसकी ओर से परीक्षा में लिख सके।

इसके अतिरिक्त, विशिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्तियों जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्तियों जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, को परिशिष्ट VI पर दिए गए प्रोफॉर्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्था के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से प्राप्त इस आशय का प्रमाण-पत्र

प्रस्तुत करने के अध्यधीन, स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी कि संबंधित व्यक्ति की लेखन क्षमता बाधित है तथा इनकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए स्क्राइब अनिवार्य है।

नोट: 2: आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत परिभाषित ऐसी दिव्यांगता वाले उम्मीदवार जिनकी स्थिति प्रोग्रेसिव है, नॉन-प्रोग्रेसिव है या जिसमें सुधार की संभावना नहीं है, उन्हें आरपीडब्ल्यूडी संशोधन नियम, 2024 के अनुसार दिव्यांगता प्रमाणन के लिए "स्थायी दिव्यांगता" के समान माना जाएगा और उन्हें आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की धारा 34 के तहत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। हालाँकि, जिन प्रमाणपत्रों में स्थिति में "सुधार की संभावना" का उल्लेख किया गया है, उन्हें अस्थायी दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा और उन्हें आरक्षण के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

नोट-3 :- उम्मीदवारों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे अपना स्क्राइब लाने का विकल्प चुनें या आयोग से स्क्राइब उपलब्ध कराने का अनुरोध करें। स्क्राइब से संबंधित विवरण अर्थात उम्मीदवार स्वयं स्क्राइब ला रहा है या आयोग द्वारा उपलब्ध कराया जाए, परिशिष्ट V (40% या इससे अधिक दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों के लिए) तथा परिशिष्ट VII (40% से कम दिव्यांगता वाले उम्मीदवार जिन्हें लिखने में कठिनाई हो) में दिए गए प्रोफार्मा के आधार पर आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने के समय मांगा जाएगा।

नोट-4 :- आयोग के स्क्राइब तथा उम्मीदवार के अपने स्क्राइब की अर्हता, इस परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि स्क्राइब की योग्यता सदैव मैट्रिकुलेट या इससे अधिक होनी चाहिए।

नोट-5 :- बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी के **अल्पदृष्टि** से पीड़ित उम्मीदवार परीक्षा में प्रति घंटे बीस मिनट का प्रतिपूरक समय प्राप्त करने के पात्र होंगे। अन्य दिव्यांगता श्रेणियों के उम्मीदवारों को यह सुविधा तभी प्रदान की जाएगी जब वे परिशिष्ट IV में दिए गए प्रोफार्मा के आधार पर किसी सरकारी स्वास्थ्य संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिविल सर्जन/ चिकित्सा अधीक्षक से प्राप्त इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि संबंधित उम्मीदवार की लेखन क्षमता बाधित है।

इसके अतिरिक्त, विशिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्तियों जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्तियों जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, को परिशिष्ट VI पर दिए गए प्रोफॉर्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्था के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से प्राप्त इस आशय का प्रमाण-पत्र, प्रस्तुत करने के अध्यधीन, प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा कि संबंधित व्यक्ति की लेखन क्षमता बाधित है।

नोट-6 :- स्क्राइब की पात्रता की शर्तें, परीक्षा हाल में उसके आचरण तथा वह परीक्षा के उत्तर लिखने में बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवारों (पीडब्ल्यूबीडी) की किस प्रकार और किस सीमा तक सहायता कर सकता/सकती है, इन सब बातों का नियमन आयोग द्वारा इस संबंध में जारी अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा। इन सभी या इन में से किसी एक अनुदेश का उल्लंघन होने पर बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवार (पीडब्ल्यूबीडी) की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। इसके अतिरिक्त आयोग स्क्राइब के विरुद्ध अन्य कार्रवाई भी कर सकता है।

2. आयोग को परीक्षा के किसी एक पेपर या सभी पेपरों के लिए न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित करने का विवेकाधिकार है।

3. केवल सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे।

4. अपठनीय लिखावट होने पर लिखित पेपरों के पूर्णांक के पांच प्रतिशत अंक काट लिए जाएंगे।

5. परीक्षा के पारंपरिक पेपरों में इसके लिए क्रेडिट दिया जाएगा कि अभिव्यक्ति, संक्षिप्त, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित, प्रभावी एवं सटीक रूप से की गई हो।

6. प्रश्न-पत्रों में, जहां आवश्यक हो, एस.आई. (SI) इकाइयों का प्रयोग किया जाएगा।

नोट : उम्मीदवारों को परीक्षा भवन में, आवश्यकतानुसार, संदर्भ हेतु, मानक एसआई (SI) इकाइयों में मानक सारणियां/चार्ट उपलब्ध कराए जाएंगे।

7. उम्मीदवारों को पारंपरिक (निबंध) प्रकार के पेपरों के लिए बैटरी से चलने वाले पॉकेट कैलकुलेटर लाने और उनका प्रयोग करने की अनुमति है। परीक्षा भवन में कैलकुलेटर के आदान-प्रदान या अदला-बदली की अनुमति नहीं है।

यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि उम्मीदवारों को वस्तुपरक पेपरों (परीक्षण-पुस्तिकाओं) का उत्तर देने के लिए कैलकुलेटरों का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। अत:, वे उन्हें परीक्षा भवन में न लाएं।

8. उम्मीदवारों को उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात् 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए।

खंड-।।।

स्तर और पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन एवं इंजीनियरी अभिरूचि (प्रारंभिक/चरण-I परीक्षा) के पेपर का स्तर वैसा ही होगा जैसा कि इंजीनियरी/विज्ञान स्नातक से अपेक्षा की जाती है । अन्य विषयों के पेपरों का स्तर किसी भारतीय विश्वविद्यालय के इंजीनियरी डिग्री स्तर की परीक्षा के अनुरूप होगा। किसी भी विषय में प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगी ।

सामान्य अध्ययन एवं इंजीनियरी अभिरूचि पेपर (प्रारंभिक/चरण-। परीक्षा, पेपर-। वस्तुनिष्ठ, सभी उम्मीदवारों के लिए समान)

1. सामाजिक, आर्थिक एवं औद्योगिक विकास से संबद्ध राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय महत्व के समसामयिक मुद्दे । 2. इंजीनियरी अभिरूचि जिसमें तार्किक क्षमता (लॉजिकल रीजनिंग) एवं विश्लेषणात्मक योग्यता शामिल हो। 3. इंजीनियरी गणित एवं संख्यात्मक विश्लेषण । 4. अभिकल्पन, रेखाचित्र के सामान्य सिद्धांत, सुरक्षा का महत्व । 5. उत्पादन, निर्माण, अनुरक्षण एवं सेवा के मानदंड एवं गुणवत्ता संबंधी कार्यपद्धतियां। 6. ऊर्जा एवं पर्यावरण का मूलभूत ज्ञान: संरक्षण, पर्यावरणीय प्रदूषण तथा क्षरण, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रभाव का आकलन । 7. परियोजना प्रबंधन का मूलभूत ज्ञान । 8. सामग्री-विज्ञान एवं इंजीनियरी का मूलभूत ज्ञान । 9. इंजीनियरी में यंत्र आधारित सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एवं उनके अनुप्रयोग यथा नेटवर्किंग, ई-गर्वनेंस तथा प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा । 10. इंजीनियरी के प्रोफेशन में नीतिशास्त्र एवं उसका महत्व ।

नोट: सामान्य अध्ययन एवं इंजीनियरी अभिरूचि के पेपर में संगत विषयों का ज्ञान सम्मिलित होगा जिसकी किसी विशेष अध्ययन के बिना इंजीनियरी के स्नातक से अपेक्षा की जा सकती है । उपर्युक्त सभी 10 विषयों से प्रश्न निर्धारित किए जाएंगे । इस पेपर के कुल अंकों में प्रत्येक विषय के लिए 5 % से 15 % तक अंक होंगे।

सिविल इंजीनियरी

प्रारंभिक/चरण-I परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार के पेपर-II) का सम्मिलित पाठ्यक्रम (जिसमें दोनों पेपरों का पाठ्यक्रम शामिल है) तथा प्रधान/चरण-II परीक्षा (पारंपरिक प्रकार के पेपर-I तथा पेपर-II) का अलग पाठ्यक्रम ।

पेपर-I

1. भवन निर्माण सामग्री :

पत्थर, चूना, शीशा, प्लास्टिक, स्टील, एफआरपी, सेरैमिक, एल्यूमिनियम, फ्लाई ऐश, बुनियादी एडमिक्स्चर, लकड़ी, ईंटें तथा एग्रीगेट (सम्मुचय): वर्गीकरण, गुणधर्म तथा चुनने के मापदंड।

सीमेंट: प्रकार, संरचना, गुण, प्रयोग, विशिष्टताएं तथा विभिन्न परीक्षण; चूना व सीमेंट मोर्टार और कंक्रीट: गुण एवं विभिन्न परीक्षण; कंक्रीट अधिमिश्रणों का अभिकल्पन : अवयवों की मात्रा तथा मिश्र-अभिकल्पन विधि।

2. पिंड यांत्रिकी :

प्रत्यास्थता नियतांक, प्रतिबल, द्विविम प्रतिबल, विकृति, द्विविम विकृति, प्रतिबल तथा विकृति का मोर वृत्त, भंगता संबंधी प्रत्यास्थता सिद्धांत, मुख्य प्रतिबल, बंकन, अपरूपण तथा ऐंठन।

3. संरचनात्मक विश्लेषण :

सामग्रियों के सामर्थ्य की मूल अवधारणाएं, प्रतिबलों तथा विकृतियों के प्रकार, बंकन आघूर्ण तथा अपरूपण बल, बंकन तथा अपरूपण प्रतिबलों की अवधारणा; निर्धाय तथा अनिर्धाय ढांचों का विश्लेषण, कैंची, धरन, प्लेन फ्रेम; दोलन भार, प्रभाव-रेखा, यूनिट भार पद्धति एवं अन्य पद्धतियां; एकल डिग्री तथा एकाधिक डिग्री फ्रीडम प्रणाली का मुक्त तथा प्रणोदित कंपन; निलंबित केबल; कंप्यूटर आधारित डिजाइन की अवधारणाएं तथा प्रयोग।

4. इस्पात के ढांचों का अभिकल्पन :

कार्यशील प्रतिबल विधि के सिद्धांत, तान तथा संपीडन अंगों का अभिकल्पन, धरनों तथा धरन स्तंभ जोड़ों का अभिकल्पन, निर्मित खंड, गर्डर, औद्योगिक छतों, चरम भार अभिकल्पन के सिद्धांत।

5. कंक्रीट तथा चिनाई के ढांचों का अभिकल्पन :

बंकन, अपरूपण, अक्षीय संपीड़न और संयुक्त बल का सीमांत अवस्था अभिकल्पन; धरनों, स्लैबों, लिंटेल, नींवों, रिटेनिंग दीवारों, सीढ़ियों का अभिकल्पन; सामग्रियों तथा विधियों सहित पूर्व-प्रतिबलन कंक्रीट अभिकल्पन के सिद्धांत; ढांचों का भूकंपरोधी डिजाइन; चिनाई ढांचों का अभिकल्पन।

6. निर्माण संबंधी कार्य पद्धति, आयोजना एवं प्रबंधन :

निर्माण- आयोजना, उपस्कर, स्थल निरीक्षण एवं प्रबंधन, जिसके अंतर्गत प्रबंधन के अत्याधुनिक साधनों के माध्यम से आकलन और विविध प्रकार के कार्यों का नेटवर्क विश्लेषण शामिल है; विविध प्रकार के कार्यों की दर-सूची का विश्लेषण; निविदा प्रक्रिया एवं संविदा प्रबंधन, गुणवत्ता नियंत्रण, उत्पादकता, प्रचालन लागत; भूमि अधिग्रहण; श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण।

पेपर-II

1. तरल पदार्थों का प्रवाह, द्रवचालित मशीनें तथा हाइड्रो पावर:

(क) तरल यांत्रिकी, मुक्तपृष्ठ वाहिका प्रवाह, नालिका प्रवाह:

तरल की विशेषताएं; विमीय विश्लेषण तथा मॉडलिंग; प्रवाह शुद्ध गतिकी तथा मापन सहित तरल गतिकी; प्रवाह जाल; विस्कासिता, सीमांत परत तथा नियंत्रण, विकर्ष(ड्रैग), उत्थापक, मुक्त पृष्ठ वाहिका के सिद्धांत, प्रवाह नियंत्रण, जलोच्छाल; प्रोत्कर्ष; नालिका नेटवर्क।

(ख) द्रवचलित मशीनें और हाइड्रो पावर:

विविध पंप, वायु वेसल, द्रवचलित टर्बाइन-प्रकार, वर्गीकरण एवं कार्य-निष्पादन मानदंड; विद्युत गृह-वर्गीकरण और अभिन्यास, भंडारण, जल संचयन, आपूर्ति नियंत्रण।

2. जल-विज्ञान तथा जल संसाधन इंजीनियरी:

जल-विज्ञानी चक्र, भू-जल विज्ञान, कूप जल-विज्ञान तथा संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण; धाराएं और उनका प्रमापन(गॉजिंग); नदी अकारिकी(मॉर्फोलॉजी); बाढ़, सूखा और उनका प्रबंधन; जलाशयों की क्षमता।

जल संसाधन इंजीनियरी : जल के बहुउद्देशीय उपयोग; नदी क्षेत्र तथा उनकी क्षमता; सिंचाई की प्रणालियां, जल की मांग का आकलन; संसाधन- भंडारण तथा उसके लाभ, जलग्रसन, नहर और जल-निकास अभिकल्पन, भाराश्रित बांध, प्रपात, वियर, ऊर्जा क्षयकारक, बैरेज वितरण निर्माण कार्य (वर्क्स), पारगामी जल निकास निर्माण कार्य, हेड वर्क्स और अभिकल्पन; नहर अभिकल्पन, निर्माण और रख-रखाव की अवधारणाएं, नदी नियंत्रण, वर्षा का मापन तथा उसका विश्लेषण।

3. पर्यावरण इंजीनियरी :

(क) जल आपूर्ति इंजीनियरी:

स्रोत, आकलन, गुणवत्ता मानक तथा जल का परीक्षण और उसका उपचार; ग्रामीण, संस्थागत और औद्योगिक जल आपूर्ति; जल की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताएं, जल के प्रदूषण तत्व और उनके प्रभाव, जल की मांग का आकलन; पेयजल के मानक, जल शोधन संयंत्र, जल वितरण नेटवर्क।

(ख) अपशिष्ट जल इंजीनियरी:

घरेलू अपशिष्ट जल की आयोजना एवं अभिकल्पन, मलजल (सीवेज) का एकत्रीकरण और उसका निपटान; नलकारी प्रणालियां। मलजल व्यवस्था प्रणाली के घटक तथा अभिन्यास; घरेलू अपशिष्ट जल निपटान प्रणाली की आयोजना एवं अभिकल्पन; अवपंक (स्लज) प्रबंधन, जिसमें बहिस्रावों (एफ्लूएंट) का उपचार, निपटान तथा उपचारित बहिस्रावों का पुनर्प्रयोग शामिल है; संस्थागत तथा औद्योगिक मलजल प्रबंधन सहित बहिस्राव उपचार संयंत्र।

(ग) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन:

ठोस अपशिष्ट के स्रोत और उनका वर्गीकरण, जिसमें इसकी प्रबंधन प्रणाली की आयोजना और अभिकल्पन शामिल है; निपटान प्रणाली, अपशिष्टों के लाभप्रद पहलू और सिविल इंजीनियरों द्वारा इनका प्रयोग।

(घ) वायु, ध्वनि प्रदूषण तथा पारिस्थितिकी विज्ञान:

अवधारणाएं तथा सामान्य क्रिया पद्धति

4. भू-तकनीकी इंजीनियरी तथा नींव इंजीनियरी :

(क) भू-तकनीकी इंजीनियरी: मृदा अन्वेषण- आयोजना एवं विधि, मृदा की विशेषताएं, वर्गीकरण, विविध परीक्षण एवं अंत: सहसंबंध; विशिष्ट चुंबकशीलता और रिसन, संपीड्यता, संघनन तथा अपरूपण प्रतिरोध; मृदा दाब (अर्थ प्रेशर) सिद्धांत तथा मृदा में प्रतिबल वितरण, जियोसिंथेटिक्स के गुण और प्रयोग।

(ख) नींव इंजीनियरी: नींव के प्रकार एवं चयन मानदंड, वहन क्षमता, निषदन विश्लेषण, उथली तथा गहरी नींवों का अभिकल्पन तथा परीक्षण; ढाल स्थायित्व विश्लेषण, मृद तटबंध (अर्थेन एम्बैंकमेंट), बांध तथा मृदा प्रतिधारक ढांचे: प्रकार, विश्लेषण और अभिकल्पन, भू-आशोधन (ग्राउंड मॉडिफिकेशन) के सिद्धांत।

5. सर्वेक्षण एवं भू-विज्ञान :

(क) **सर्वेक्षण:** सर्वेक्षणों का वर्गीकरण, विविध पद्धतियां, दूरियों, ऊंचाई तथा दिशाओं के मापन के उपकरण और विश्लेषण; क्षेत्र संबंधी खगोल विज्ञान (फील्ड एस्ट्रॉनॉमी), ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम; मानचित्र बनाना;

फोटोग्रामीटरी; दूरस्थ संवेदन (रिमोट सेंसिंग) संकल्पनाएं; पुलियाओं, नहरों, पुलों, रोड/रेलवे के संरेखण (एलाइनमेंट) तथा भवनों का सर्वेक्षण अभिन्यास, वक्रों की निशानबंदी (सेटिंग आउट ऑफ क्र्व)।

(ख) **भू-विज्ञान:** इंजीनियरी भू-विज्ञान और परियोजनाओं में उसके अनुप्रयोग का बुनियादी ज्ञान।

6. परिवहन इंजीनियरी :

राजमार्ग- आयोजना एवं निर्माण पद्धति, संरेखण तथा ज्यामितीय डिजाइन; यातायात सर्वेक्षण एवं नियंत्रण; फ्लेक्सिबल और रिजिड पेवमेंट डिजाइन के सिद्धांत।

सुरंग निर्माण (टनलिंग)- संरेखण, निर्माण की विधि, मलबे(मक) का निपटान, जलनिकास, प्रकाश व्यवस्था तथा संवातायन (वेंटीलेशन)।

रेल प्रणालियां- शब्दावली, आयोजना, डिजाइन तथा रख-रखाव की पद्धतियां; पटरियों(ट्रैक) का आधुनिकीकरण।

बंदरगाह- शब्दावली, अभिन्यास और आयोजना। **विमानपत्तन-** अभिन्यास, आयोजना एवं डिजाइन।

यांत्रिक इंजीनियरी

प्रारंभिक/चरण-I परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर-II) का सम्मिलित पाठ्यक्रम जिसमें दोनों पेपरों का पाठ्यक्रम शामिल है तथा प्रधान/चरण-II परीक्षा (पारंपरिक प्रकार के पेपर-I तथा पेपर-II) का अलग पाठ्यक्रम I

पेपर-I

1. तरल यांत्रिकी :

द्रवों की बुनियादी अवधारणाएं और उनका गुणधर्म, मैनोमीट्री, द्रव स्थैतिकी, उत्प्लावकता, गति के समीकरण, बरनौली का समीकरण और उसके अनुप्रयोग, असंपीड्य तरलों का श्यान प्रवाह, स्तरीय और विक्षुब्ध प्रवाह, पाइपों में से प्रवाह तथा पाइपों में दाबोच्चता हानि।

2. ऊष्मागतिकी और ऊष्मा अंतरण:

ऊष्मागतिकी प्रणालियां तथा प्रक्रियाएं; विशुद्ध पदार्थ के गुणधर्म, ऊष्मागतिकी का जीरोथ (शून्यकोटि), प्रथम तथा द्वितीय नियम; ऐन्ट्रॉपी; अप्रतिक्रम्यता तथा उपलब्धता; ऊर्जा परिवर्तन से संबंधित ऊष्मागतिक चक्रों का विश्लेषण: रैंकिन, ऑटो, डीजल तथा डूअल चक्र; आदर्श तथा वास्तविक गैस; संपीड्यता गुणक; गैस मिश्रण।

ऊष्मा अंतरण के माध्यम, स्थिर तथा अस्थिर ऊष्मा प्रवाह, तापीय प्रतिरोध, फिन(पंख), मुक्त तथा प्रणोदित संवहन, संवहनी ऊष्मा अंतरण हेतु सहसंबंध, विकिरणी ऊष्मा अंतरण- विकिरण ऊष्मा अंतरण गुणांक; क्वथन तथा द्रवण, ऊष्मा विनियमित्र निष्पादन विश्लेषण(हीट एक्सचेंजर परफार्मेंस एनेलिसिस)।

3. आईसी इंजन, प्रशीतन और वातानुकूलन :

एसआई एवं सीआई इंजन, इंजन प्रणालियां और घटक, आईसी इंजनों के निष्पादन गुण और परीक्षण; ईंधन; उत्सर्जन एवं उत्सर्जन नियंत्रण। वाष्प-संपीडन प्रशीतन, प्रशीतक द्रव्य एवं कार्य चक्र(वर्किंग साइकल), संपीडित्र (कंप्रेसर),

द्रवणित्र(कंडेंसर), वाष्पित्र(इवेपोरेटर) तथा प्रसरण उपकरण, अन्य प्रकार की प्रशीतन प्रणालियां जैसे वाष्प अवशोषण, वाष्प जेट, ताप विद्युत तथा वॉर्टेक्स ट्यूब प्रशीतन। साइकोमीट्रिक गुण एवं प्रक्रियाएं, सुखार्थ (कम्फर्ट) चार्ट, सुखार्थ एवं औद्योगिक वातानुकूलन, भार गणन एवं ताप पंप।

4. टर्बो मशीनरी :

प्रत्यागामी एवं घूर्णी पंप, पेल्टन चक्र, कैप्लन एवं फ्रांसिस टर्बाइन, वेग आरेख, आवेग तथा प्रितक्रया सिद्धांत, वाष्प तथा गैस टर्बाइन, प्रधार नोदन सिद्धांत- स्पंद जेट तथा निपीड जेट इंजन, प्रत्यागामी एवं घूर्णी संपीडित्र- सिद्धांत एवं अनुप्रयोग।

5. विद्युत संयंत्र इंजीनियरी :

रैंकिन एवं ब्रेटन चक्र पुनर्योजन(रीजेनरेशन) एवं पुनस्ताप(रीहीट), ईंधन एवं उनके गुणधर्म, फ्लू गैस विश्लेषण, बॉयलर, वाष्प टर्बाइन तथा विद्युत संयंत्र के अन्य घटक जैसे द्रवणित्र(कंडेंसर), वायु–निष्कासक, स्थिरवैद्युत प्रेसिपिटेटर तथा शीतन मीनार- इनके सिद्धांत, डिजाइन, प्रकार एवं अनुप्रयोग।

6. ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत :

सौर विकिरण, सौर ताप ऊर्जा संग्रहण - फ्लैट प्लेट तथा फोकसिंग कलेक्टर- इनकी सामग्री तथा निष्पादन। सौर ताप ऊर्जा भंडारण, अनुप्रयोग –तापन, शीतन एवं विद्युत उत्पादन; सौर प्रकाश वोल्टीय रूपांतरण (सोलर फोटोवोल्टाइक कन्वर्जन); वायु ऊर्जा का दोहन, बायोमास एवं ज्वारीय (टाइडल) ऊर्जा- विधि एवं अनुप्रयोग, ऊर्जा सेल के व्यावहारिक सिद्धांत।

पेपर - ।।

1. यांत्रिक इंजीनियरी:

बल प्रणाली का विश्लेषण, घर्षण, केन्द्रक तथा गुरूत्व केन्द्र, गतिकी, प्रतिबल एवं विकृति–संयुक्त प्रतिबल एवं विकृति, बंकन आघूर्ण तथा अपरूपण बल आरेख, बंकन प्रतिबल-प्रवणता तथा बंकन प्रतिबल का सिद्धांत, पतले तथा मोटे सिलेंडर/गोलीय

2. इंजीनियरी सामग्री:

मूलभूत क्रिस्टल विज्ञान, मिश्रधातु तथा फेज आरेख, ऊष्मा उपचार, लौहमय तथा अलौहमय धातु, अधात्विक सामग्री, नैनो सामग्री के मूलभूत तत्व, यांत्रिक गुणधर्म तथा परीक्षण, संक्षारण रोकथाम तथा नियंत्रण ।

3. यांत्रिकीकरण एवं मशीनें:

गतिकी के प्रकार, युगल, गतिशीलता, व्युत्क्रमण, शुद्धगतिकी विश्लेषण, समतलीय क्रियाविधि का वेग एवं त्वरण विश्लेषण, समरूप त्वरण एवं मंदक सहित कैम, चक्रजीय गति, दोलनी अनुगामी गैर-अवमंदित तथा अवमंदित एसडीओएफ प्रणाली का मुक्त एवं प्रणोदित कंपन, पारगमन प्रणाली, कंपन वियोजन, शाफ्ट गियर्स की क्रांतिक गति–दंत परिच्छेच्दिका की ज्यामिति, गियरन सिद्धांत, प्रतिकेन्द्रण परिछेच्दिका, व्यतिकरण, कुंडलिनी, सर्पिल एवं वर्मगियर, गियरमाला-सरल, संयुक्त एवं अधिचक्रिक; गतिक विश्लेषण-सर्पण (स्लाइडर)–क्रैंक क्रियाविधि, खरादन आघूर्ण अभिकलन, घूर्णी एवं प्रत्यागामी द्रव्यमान का संतुलन, घूर्णाक्षस्थायी-ऑटोमोबाइल, जहाज एवं एयरक्राफ्ट, अभिनियंत्रक पर घूर्णाक्षस्थायी बलयुग्म ।

4. मशीनी अवयव के अभिकल्प:

स्थैतिक एवं गतिक भार का अभिकल्प, भंगिता सिद्धांत, श्रांति सामर्थ्य और एस-एन आरेख, मशीनी अवयवों जैसे रिवेटेड, वेल्डेड तथा काबला जोड़, शाफ्ट, स्पर गियर, रोलिंग एवं स्लाडिंग संपर्क बेयरिंग, ब्रेक एवं क्लच, फ्लाई-व्हील के अभिकल्प के सिद्धांत।

5. विनिर्माण, औद्योगिक तथा अनुरक्षण इंजीनियरी:

मेटल कास्टिंग–मेटल फॉर्मिंग, मेटल ज्वाइनिंग, मशीनीकरण तथा मशीन औजार प्रचालन, सीमा, अन्वायोजन (फिट) तथा सहिष्णुता, मापविज्ञान एवं निरीक्षण, कम्प्यूटर एकीकृत निर्माण, एफएमएस, उत्पादन, योजना तथा नियंत्रण, मालसूची नियंत्रण तथा संक्रिया अनुसंधान–सीपीएम-पीईआरटी, भंगिता अवधारणाएं तथा अभिलक्षणिक विश्वसनीयता, भंगिता विश्लेषण, मशीनी कंपन, डाटा अधिग्रहण, दोष संसूचन, कंपन अनुश्रवण, रोटर का क्षेत्र संतुलन, रव अनुश्रवण, निघर्षण तथा डेबरिस विश्लेषण, सिगनेचर विश्लेषण, अवस्था अनुश्रवण में एन डी टी प्रविधि।

6. मेकाट्रॉनिक्स तथा रोबॉटिक्स:

माइक्रोप्रोसेसर एवं माइक्रोकन्ट्रोलर, वास्तुकला, प्रोग्रामन, आई/ओ, कम्प्यूटर इंटरफेसिंग, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, सेन्सर एवं संचालक, दाबविद्युत त्वरणमापी, हॉल प्रभाव सेन्सर, आप्टिकल इनकोडर, वियोजक, इन्डक्टोसीन, वायुचालित एवं द्रवचालित संचालक, अतिप्रवण मोटर, नियंत्रण प्रणाली-भौतिकीय प्रणाली का गणितीय मॉडल, नियंत्रण संकेत, नियंत्रणीयता तथा प्रेक्षणीयता, रोबोटिक्स, रोबोट वर्गीकरण, रोबोट विनिर्देशन, प्रतीकांकन (सांकेतिक), प्रत्यक्ष तथा प्रतीप शुद्धगतिकी, समांगी निर्देशांक और चार अक्षों का भुजा समीकरण, एससीएआरए रोबोट।

विद्युत इंजीनियरी

प्रारंभिक/चरण-I परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर-II) का सम्मिलित पाठ्यक्रम जिसमें दोनों पेपरों का पाठ्यक्रम शामिल है तथा प्रधान/चरण-II परीक्षा (परंपरागत प्रकार के पेपर-I तथा पेपर-II) का अलग पाठ्यक्रम।

पेपर-I

1. इंजीनियरी गणित:

मैट्रिक्स सिद्धांत, आइगेन मान और आइगेन सदिश, रेखीय समीकरण प्रणाली, अरेखीय बीजीय समीकरणों और अवकल समीकरणों को हल करने की संख्यात्मक विधियां, अविकल परिकलक, आंशिक व्युत्पाद, उच्चिष्ट और निम्निष्ट, रेखा, सतह तथा आयतन समाकल। फोरिये श्रेणी, रेखीय, अरेखीय और आंशिक अवकलज समीकरण, प्रारंभिक और परिमित मान समस्याएं, सम्मिश्र चर, टेलर और लारेन्ट की सीरीज, अवशेष सिद्धांत, प्रायिकता एवं सांख्यिकी मूलभूत सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत, यादृच्छ चर, सामान्य और प्वासों वितरण, सहसंबंध और समाश्रयण विश्लेषण।

2. विद्युत सामग्री:

विद्युत इंजीनियरी सामग्री, स्फटिक अवसंरचना और दोष, सिरामिक पदार्थ, रोधक पदार्थ, चुम्बकीय पदार्थ-मूल सिद्धांत, गुण और अनुप्रयोग; फेराइट लौह-चुंबकीय पदार्थ और घटक ; ठोस अवस्था भौतिकी के मूल सिद्धांत; चालक; प्रकाश संवाहकता; नेनो पदार्थों और अतिचालकों के मूल सिद्धांत ।

3. विद्युत परिपथ और क्षेत्र:

परिपथ तत्व, नेटवर्क ग्राफ, केसीएल, केवीएल, नोड और मेश विश्लेषण, आदर्श विद्युत प्रवाह और वोल्टेज स्त्रोत, थेवेनिन, नोरटन का अध्यारोपण और अधिकतम विद्युत अंतरण सिद्धांत, डीसी और एसी नेटवर्क की क्षणिक अनुक्रिया, साइनाकार स्थायी अवस्था विश्लेषण, मूल फिल्टर संकल्पना, दो-पोर्ट नेटवर्क, त्रिफेजी परिपथ, चुम्बक युग्मित परिपथ, गॉस सिद्धांत, बिन्दु, रेखा, समतल और गोलीय आवेश वितरणों के कारण विद्युत क्षेत्र और विभव,, एम्पीयर और बायो सेवर्ट का नियम; प्रेरकत्व, परावैद्युत धारिता; मैक्सवेल का समीकरण ।

4. विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक मापन:

मापन के सिद्धांत, यथार्थता, परिशुद्धता और मानक; सेतु और विभवमापी; चल कुंडल, चल लौह, डायनेमोमीटर और प्रेरण प्रकार उपकरण; वोल्टेज, विद्युत प्रवाह, शक्ति, ऊर्जा और शक्ति कारक का मापन, उपकरण ट्रांसफार्मर, डिजीटल वोल्टमीटर और मल्टीमीटर, फेज़, समय और आवृति मापन, क्यू-मीटर, दोलनदर्शी, विभवमापीय रिकार्डर, दोष विश्लेषण, संवेदक, ट्रांसड्यूसर के मूल सिद्धांत, आंकड़ा प्राप्ति प्रणाली के मूल सिद्धांत ।

5. कम्प्यूटर के मूलभूत सिद्धांत:

संख्या प्रणाली, बूलीय बीजगणित, अंक गणितीय कार्य, मूल वास्तुकला, सेन्ट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आई/ओ और मेमोरी आर्गेनाइजेशन, परिधीय युक्ति, डाटा निरूपण तथा संचालन प्रणाली के मूलतत्व तथा नेटवर्किंग, वास्तविक मेमोरी, फाइल प्रणाली, प्रोग्रामण भाषा के तत्व, प्ररूपी उदाहरण ।

6. मूलभूत इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग:

सेमी कन्डक्टर, डायोड्स तथा ट्रांसजिस्टर्स के मूलतत्व और उनकी विशेषताएं, जंक्शन तथा फील्ड इफेक्ट ट्रांसजिस्टर्स (बीजेटी, एफईटी तथा एमओएसएफईटीएस), विभिन्न प्रकार के ट्रांसजिस्टर्स एम्पलीफायर, समतुल्य परिपथ तथा आवृति अनुक्रिया, दोलित्र तथा अन्य परिपथ, फीडबैक एम्पलीफायर ।

पेपर - ॥

1. एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी :

आपरेशनल एम्प्लीफायर-अभिलक्षण और अनुप्रयोग, संयोजनात्मक और आनुक्रमिक लॉजिक सर्किट, मल्टीप्लेक्सर, मल्टी वाइब्रेटर, सेम्पल और होल्ड सर्किट, ए/डी और डी/ए कन्वरटर, फिल्टर सर्किट के आधारभूत तत्व और अनुप्रयोग, सामान्य एक्टिव फिल्टर, माइक्रोप्रोसेसर के मूलभूत तत्व - अन्तरापृष्ठ और अनुप्रयोग, रेखीय एकीकृत सर्किटों के मूलभूत तत्व, एनालॉग संचार के मूलभूत तत्व, मॉडुलेशन और डिमॉडुलेशन, रव और बैंड चौड़ाई, ट्रान्समीटर और रिसीवर, रव अनुपात का संकेत, डिजीटल संचार के मूलभूत तत्व, नमूनाकरण, क्वांटिजिंग, कोडिंग, फ्रिक्वेंसी और टाइम डोमेन मल्टीप्लेक्सिंग, पावर लाइन करियर संचार प्रणालियां ।

2. सिस्टम और सिग्नल प्रोसेसिंग:

सतत और असतत-काल संकेतों का निरूपण, शिफ्टिंग और स्केलिंग आपरेशन, रेखीय टाइम-इन्वेरियंट और कैजुअल प्रणालियां, सतत आवधिक संकेतों का फोरियर सीरीज़ प्रतिनिधित्व, सैम्पलिंग थ्योरम, फोरियर और लैप्लेस ट्रान्सफार्म, एफ एफ टी, रेखीय संवलन, असतत कोसाइन ट्रान्सफार्म, एफ आई आर फिल्टर, आई आई आर फिल्टर, द्वैरेखीय रूपान्तरण ।

3. नियंत्रण प्रणालियां :

फीडबैक के सिद्धांत, ट्रान्सफर कार्य, ब्लॉक आरेख और संकेत प्रवाह रेखाचित्र, स्थिर अवस्था त्रुटियां, रूपान्तर और उसके अनुप्रयोग, राउथ-हरविट्ज़ मानदण्ड, नाइक्विस्ट तकनीक, बॉड प्लॉट्स, मूल बिन्दुपथ, पश्चता, सीसा और सीसा-पश्चता प्रतिकरण, स्थायित्व विश्लेषण, क्षणिका और फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स विश्लेषण, अवस्था स्थान मॉडल, अवस्था विचरण निरूपण, नियन्त्रण और अवलोकन, रेखीय अवस्था परिवर्तनशील फीडबैक, पीआईडी और औद्योगिक नियंत्रक।

4. विद्युत मशीनें:

एकल फेज ट्रान्सफार्मर, त्रि-फेज ट्रान्सफार्मर - योजन, समान्तर आपरेशन, ऑटो- ट्रान्सफार्मर, ऊर्जा रूपांतरण सिद्धांत, डी सी मशीनें - प्रकार, वाइंडिंग, जेनेरेटर अभिलक्षण, आर्मेचर प्रतिक्रिया और दिक् परिवर्तन, मोटरों का स्टार्ट होना और गति नियंत्रण, अधिष्ठापन मोटर - सिद्धांत, प्रकार, निष्पादन अभिलक्षण, स्टार्ट होना और गति नियंत्रण, समगति मशीनें – निष्पादन, विनियमन, जेनेरेटरों का समान्तर आपरेशन, मोटर स्टार्ट होना, अभिलक्षण और अनुप्रयोग, सर्वो और स्टेप्पर मोटर ।

5. पावर प्रणाली:

मूलभूत विद्युत उत्पादन संकल्पनाएं, भाप, गैस और जल टर्बाइन, ट्रान्समिशन लाइन मॉडल और निष्पादन, केबल निष्पादन, इन्सुलेशन, कोरोना और रेडियो इन्टरफेरेंस, विद्युत कारक संशोधक, सममित संघटक, दोष विश्लेषण, संरक्षा प्रणालियों के सिद्धांत, ठोस अवस्था रिले के मूलभूत तत्व और डिजीटल संरक्षा, सर्किट ब्रेकर, रेडियल और रिंग - मुख्य वितरण प्रणालियां, विद्युत प्रणालियों के मैट्रिक्स निरूपण, भार प्रवाह विश्लेषण, वोल्टेज नियंत्रण और इकॉनोमिक आपरेशन, प्रणाली स्थायित्व संकल्पनाएं, स्विंग वक्र और समान मानदण्ड, एचवीडीसी ट्रान्समिशन और एफएसीटीएस संकल्पनाएं, विद्युत प्रणाली गतिकी की संकल्पनाएं, वितरित उत्पादन, सौर और वायु विद्युत, स्मार्ट ग्रिड संकल्पनाएं, पर्यावरणीय प्रभाव, विद्युत अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत ।

6. पावर इलेक्टॉनिक्स और ड्राइव्स:

अर्द्धचालक विद्युत डायोड, ट्रान्जिस्टर, थाइरिस्टर, ट्रिएक्स, जीटीओ, एमओएसएफईटी और आईजीबीटी-स्थिर अभिलक्षण और ऑपरेशन के सिद्धांत, ट्रिगरिंग सर्किट, फेज नियंत्रण रेक्टीफायर्स, ब्रिज कन्वरर्टर्स – पूर्ण नियंत्रित एवं अर्ध नियंत्रित, चॉपर्स एवं इनवर्टर के सिद्धांत, समायोज्य गति डीसी और एसी चलनों की मूलभूत संकल्पनाएं, डीसी-एसी स्विच्ड मोड कन्वरर्टर्स, उच्च रिजोनेंट कन्वरर्टर्स, हाई फ्रीक्वेंसी इन्डक्टर्स और ट्रान्सफार्मर्स, विद्युत आपूर्ति ।

इलेक्ट्रॉनिकी एवं दूरसंचार इंजीनियरी

प्रारंभिक/चरण-I परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर-II) का सम्मिलित पाठ्यक्रम जिसमें दोनों पेपरों का पाठ्यक्रम शामिल है तथा प्रधान/चरण-II परीक्षा (पारंपरिक प्रकार के पेपर-I तथा पेपर-II) का अलग पाठ्यक्रम ।

पेपर-I

1. मूलभूत इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी:

अर्द्धचालकों के मूलभूत तत्व; डायोड; ट्रान्जिस्टर के मूलभूत तत्व और अभिलक्षण; विभिन्न प्रयोगों के लिए डायोड; जंक्शन एवं फील्ड प्रभाव ट्रान्जिस्टर (बीजेटी, जेएफईटी, एमओएसएफईटी); विभिन्न प्रकार के ट्रान्जिस्टर एम्प्लीफायर्स, ओस्सीलेटर और अन्य सर्किट; एकीकृत सर्किटों के मूलभूत तत्व (आईसी); बायोपोलर, एमओएस और सीएमओएस आईसी; रेखीय आईसी के मूलभूत तत्व, आपरेशनल एम्प्लीफायर्स और उनके अनुप्रयोग–रेखीय /अरेखीय; आप्टीकल स्रोत/डिटेक्टर; ओप्टो इलेक्ट्रानिकी के मूलभूत तत्व और उसके अनुप्रयोग ।

2. मूलभूत विद्युत इंजीनियरी:

डीसी सर्किट–ओहम एवं किरकॉफ विधि, मेश और नोडल विश्लेषण, सर्किट थ्योरम; इलेक्ट्रो-मैगनिटिज्म, फैराडे एवं लेंज विधि, उत्प्रेरण ईएमएफ और उसके प्रयोग; एकल फेज एसी सर्किट; ट्रान्सफार्मर, दक्षता; मूलभूत तत्व - डीसी मशीनें, इन्डक्शन मशीनें और समगति मशीनें; वैद्युत ऊर्जा स्रोत-मूलभूत तत्व; जल विद्युत, ताप, परमाणु, वायु, सौर; बैटरियों के मूलभूत तत्व और उसके प्रयोग ।

3. सामग्री विज्ञान:

विद्युत इंजीनियरी सामग्री; क्रिस्टल स्ट्रक्चर एवं त्रुटियां; सिरामिक सामग्री - स्ट्रक्चर, यौगिक, प्रोसेसिंग और प्रयोग; इलेक्ट्रॉनिकी के इन्सुलेटिंग लेमिनेट्स, स्ट्रक्चर, गुणधर्म एवं प्रयोग; चुम्बकीय सामग्री, मूलभूत तत्व, वर्गीकरण, फेराइट्स, फैरो, पैरा-चुम्बकीय सामग्री और संघटक; नैनो सामग्री-मूलभूत तत्व निर्माण, शुद्धिकरण, सिन्टेरिंग, नैनो कण और प्रयोग; नैनो-आप्टीकल/ चुम्बकीय/इलेक्ट्रानिक सामग्री और प्रयोग; अतिचालकता, प्रयोग ।

4. इलेक्ट्रॉनिक माप और माप के सिद्धांत:

माप, सटीक, परिशुद्धता और मानक के सिद्धांत, माप के लिए एनालॉग और डिजीटल प्रणालियां, विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए माप यंत्र, माप प्रणालियों के स्थिर/गतिकी अभिलक्षण, त्रुटियां, सांख्यिकीय विश्लेषण और वक्र फिटिंग, गैर-विद्युत मात्राओं के लिए माप प्रणालियां; टेलीमेट्री के मूलभूत तत्व; ट्रान्सड्यूसर और डिसप्ले के विभिन्न प्रकार के आंकड़े, अधिग्रहण प्रणाली के मूलभूत तत्व ।

5. नेटवर्क सिद्धांत:

नेटवर्क आरेख एवं आव्यूह, वार्ट-डेल्टा रूपान्तर; रेखीय स्थिर गुणांक भिन्न साम्यता-आर एल सी सर्किटों का टाइम डोमेन विश्लेषण; लाप्लेस ट्रान्सफार्मों का प्रयोग करते हुए नेटवर्क साम्यताओं का हल–आरएलसी सर्किटों का फ्रीक्वेंसी डोमेन विश्लेषण; 2 पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर-ड्राइविंग बिन्दु एवं अन्तरण कार्य; नेटवर्कों के लिए अवस्था साम्यता; स्थिर अवस्था ज्यावक्रीय विश्लेषण।

6. एनालॉग और डिजिटल सर्किट:

डायोडों के लघु संकेत समरूप सर्किट, बीजेटीएस और एफईटी; विभिन प्रयोगों के लिए डायोड सर्किट; बीजेटी एवं जेएफईटी एम्प्लीफायर सर्किटों का अभिनतिकरण एवं स्थिरता; एम्प्लीफायर का विश्लेषण/डिजाइन - एकल/बहुचरण; फीडबैक एवं प्रयोग; एक्टिव फिल्टर, टाइमर, मल्टीप्लायर, वेव रूपण, ए/डी-डी/ए कन्वरटर; बूलियन बीजगणित एवं प्रयोग; लॉजिक गेट्स, डिजीटल आईसी फेमिलीज़, संयुक्त/अनुक्रमणीय सर्किट; मल्टीप्लेक्सरों के मूलभूत तत्व, काउन्टर/रजिस्टर/मेमोरीज/माइक्रोप्रोसेसर, डिजाइन एवं अनुप्रयोग।

पेपर-II

1. एनालॉग और डिजिटल संचार प्रणाली :

यादृच्छिक (रैंडम) संकेत, रव, संभाव्यता सिद्धांत, सूचना सिद्धांत, एनालॉग बनाम डिजीटल संचार तथा अनुप्रयोग: प्रणाली-एएम, एफएम, ट्रांसमीटर/रिसीवर, सिद्धांत/पद्धति/मानक, एसएनआर तुलना; डिजीटल संचार मूल तत्व जैसे: सैम्पलिंग, क्वान्टीजिंग, कोडिंग, पीसीएम, डीपीसीएम, मल्टीप्लेक्सिंग-ऑडियो/वीडियो; डिजीटल माड्यूलेशन: एएसके, एफएसके, पीएसके; विविध अभिगम; टीडीएमए, एफडीएमए, सीडीएमए; ऑप्टिकल संचार; फाइबर ऑप्टिक्स, सिद्धांत, पद्धति/मानक।

2. नियंत्रण प्रणाली :

सिगनल तथा प्रणालियों का वर्गीकरण; सिगनल तथा प्रणाली सिद्धांत का अनुप्रयोग; प्रणाली बोध; ट्रांसफार्मर्स तथा उनका अनुप्रयोग; सिगनल फ्लोग्राफ, राउथ-हर्विट्ज़ कसौटी, रूट लोसी, निक्विस्ट/बॉड प्लॉट्स; फीडबैक प्रणाली-खुले तथा बंद लूप प्रकार, स्थिरता विश्लेषण, स्थिर स्थिति, क्षणिक और आवृत्ति प्रतिक्रिया विश्लेषण; नियंत्रण प्रणाली का डिजाइन, कम्पनसेटर्स, लीड/लैग कम्पनसेशन के तत्व, पीआईडी और औद्योगिक नियंत्रक।

3. कम्प्यूटर संगठन तथा वास्तुकला :

बुनियादी वास्तुकला, सीपीयू, आई/ओ आर्गेनाइजेशन, मेमोरी आर्गेनाइजेशन, परिधीय उपकरण, प्रवृत्तियां; हार्डवेयर/साफ्टवेयर मुद्दे; डाटा निरूपण तथा प्रोग्रामिंग; ऑपरेटिंग प्रणाली - मूलभूत तत्व, प्रक्रियाएं, विशेषताएं, अनुप्रयोग; मेमोरी प्रबंधन, आभासी स्मृति, फाइल प्रणाली, संरक्षण तथा सुरक्षा; डाटा बेस, विभिन्न प्रकार, विशेषताएं और डिजाइन; ट्रांजेक्शन तथा सहमति नियंत्रण; प्रोग्रामिंग भाषा के तत्व; विशिष्ट उदाहरण।

4. इलेक्ट्रो मैग्नेटिक्स :

वेक्टर कैलकुलस के तत्व, मैक्सवेल के समीकरण-बुनियादी अवधारणाएं; गॉस, स्टोक्स सिद्धांत, विभिन्न मीडिया के माध्यम से तरंग संचरण; ट्रांसमिशन लाइन्स-विभिन्न प्रकार, मूलभूत तत्व, स्मिथ चार्ट, प्रतिबाधा मिलान/परिवर्तन, एस-पैरामीटर, पल्स उत्तेजना, प्रयोग; वेवगाइड्स- बुनियादी, आयताकार प्रकार, मोड, कट-ऑफ आवृत्ति, फैलाव, परावैद्युत प्रकार; ऐन्टिना- विकिरण पैटर्न, एकध्रुव/द्विध्रुव, लब्धि, व्यूह - सक्रिय/ निष्क्रिय, सिद्धांत, प्रयोग।

5. उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स विषय :

वीएलएसआई प्रौद्योगिकी; प्रोसेसिंग, लिथोग्राफी, इन्टरकनेक्ट, पैकेजिंग, परीक्षण; वीएलएसआई डिजाइन: सिद्धांत, एमयूएक्स/आरओएम/ पीएलए-आधारित डिजाइन, मूर और मिले सर्किट डिजाइन: पाइपलाइन अवधारणा और

कार्य; परीक्षण के लिए डिजाइन, उदाहरण; डीएसपी: असतत काल संकेत/प्रणाली; प्रयोग; डिजीटल फिल्टर: एफआईआर/ आईआईआर प्रकार, डिजाइन, स्पीच/श्रव्य/राडार सिगनल प्रोसेसिंग, प्रयोग; माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रोकन्ट्रोलर, मूलभूत तत्व, बाधक, डीएमए, हिदायत सेट, इन्टरफेसिंग; कन्ट्रोलर तथा प्रयोग; एम्बेडेड प्रणाली।

6. उन्नत संचार विषय :

संचार नेटवर्क: सिद्धांत/व्यवहार/प्रौद्योगिकी/प्रयोग/ओएसआई मॉडल/ सुरक्षा; बेसिक पैकेट बहुविधि शाखा/अनुसूची; सेल्युलर नेटवर्क, प्रकार, विश्लेषण, प्रोटोकॉल (टीसीपी/टीसीपीआईपी); माइक्रोवेव और उपग्रह संचार: भौमिक/स्थल प्रकार एलओएस प्रणाली, ब्लॉक योजनाबद्ध लिंक गणना, प्रणाली डिजाइन; संचार उपग्रह, कार्यक्षेत्र, विशेषताएं, प्रणाली, प्रयोग; फाइबर-ऑप्टिक संचार प्रणाली, ब्लॉक योजनाबद्ध, लिंक गणना, प्रणाली डिजाइन।

परिशिष्ट–II क

उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी अनुदेश

उम्मीदवारों द्वारा वेबसाइट https://upsconline.nic.in का उपयोग कर ऑनलाइन आवेदन करना अपेक्षित है।
ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

1. ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने संबंधी विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

2. उम्मीदवारों द्वारा ड्रॉप डाउन मेन्यू के माध्यम से उपर्युक्त साइट में उपलब्ध अनुदेशों के अनुसार अकाउंट खोलने, यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या जनरेट करने,समान आवेदन प्रपत्र और परीक्षा विशिष्ट प्रपत्र जिसमें चार चरण अर्थात् भाग-I और भाग-II, भाग-III और भाग-IV शामिल हैं को भरने का कार्य पूर्ण करना अपेक्षित होगा।

3. इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2027 में भाग लेने ले लिए उम्मीदवारों को **200/- रु. (केवल दो सौ रुपए)** के शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग सेवा के माध्यम से अथवा वीजा/मास्टर/रुपे क्रेडिट/डेबिट कार्ड/यूपीआई भुगतान द्वारा करना अपेक्षित है।

4. ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले उम्मीदवार को अपनी फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को जेपीजी प्रारूप में विधिवत रूप से इस प्रकार स्कैन करना है कि प्रत्येक फाइल **300 केबी** से अधिक न हो, लेकिन फोटोग्राफ और हस्ताक्षर के लिए के लिए आकार में **20 केबी** से कम न हो।

5. आवेदन पत्र भरने से पहले उम्मीदवार अपना मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र तैयार रखें। समान आवेदन प्रपत्र में उम्मीदवार द्वारा प्रदान किया विवरण यथा उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि अनिवार्य रूप वही होनी चाहिए जो मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में उल्लिखित हो।

6. इसके अतिरिक्त उम्मीदवार के पास किसी एक फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पैन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस अथवा राज्य/ केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य फोटो पहचान पत्र का विवरण भी होना चाहिए। उम्मीदवार को इस फोटो पहचान पत्र का विवरण युनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) विवरण भरते समय उपलब्ध कराना होगा। इस फोटो आईडी का उपयोग भविष्य के सभी संदर्भों के लिए किया जाएगा और उम्मीदवार को परीक्षा/व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार के लिए उपस्थित होते समय इस पहचान पत्र को साथ ले जाने की सलाह दी जाती है।

7. ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र **16 सितंबर, 2026 से 06 अक्तूबर, 2026 सायं 6.00 बजे** तक भरा जा सकता है।

8. आवेदक अपना आवेदन प्रपत्र भरते समय यह सुनिश्चित करें कि वे अपना मान्य और सक्रिय ई-मेल आईडी प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि आयोग परीक्षा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उनसे संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल कर सकता है।

9. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी ई-मेल नियमित रूप से देखते रहें तथा यह सुनिश्चित करें कि @nic.in पर समाप्त होने वाले ई-मेल पते उनके इनबॉक्स फोल्डर में आएं न कि उनके एसपीएएम (SPAM) फोल्डर या अन्य किसी फोल्डर में।

10. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख की प्रतीक्षा किए बिना पर्याप्त समय पहले ऑनलाइन आवेदन करें।

परिशिष्ट-II(ख)

आवेदन वापस लेने संबंधी महत्वपूर्ण अनुदेश

एक बार आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद उम्मीदवारों को उसे वापस लेने की अनुमति नहीं है।

<u>परिशिष्ट--III</u>

(भाग – क)

परम्परागत प्रकार के प्रश्न पत्रों के लिए उम्मीदवारों हेतु विशेष अनुदेश

1. **<u>परीक्षा हॉल में ले जाने वाली वस्तुएं:</u>**

बैटरी से चलने वाले केवल "नॉन-प्रोग्रामेबल" प्रकार के पॉकेट कैलकुलेटर, गणितीय/ इंजीनियरी/आरेखन उपकरण जिसमें एक ऐसा चपटा पैमाना, जिसके किनारे पर इंच तथा इंच के दशांश तथा सेंटीमीटर और मिलीमीटर के निशान दिए हों, एक स्लाइड रूल, सैट स्क्वेयर, एक प्रोट्रेक्टर और परकार का एक सैट, पेंसिलें, रंगीन पेंसिलें, मानचित्र की कलम, रबड़, टी-स्क्वेयर तथा ड्रांइग बोर्ड (जहां अपेक्षित हो) शामिल है। उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में प्रयोग के लिए किसी भी प्रकार की "सारणी अथवा चार्ट" साथ लाने की अनुमति नहीं है।

2. **<u>संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सारणियां:</u>**

किसी पेपर में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आवश्यक समझे जाने पर, आयोग केवल संदर्भ के लिए निम्नलिखित में से कोई सामग्री उपलब्ध कराएगा:-

(i) गणितीय/भौतिकीय, रासायनिक तथा इंजीनियरी संबंधी सारणियां (लघु गणक सारणी सहित);

(ii) स्टीम टेबल (800° सेंटीग्रेड तक तापमान तथा 500 के.जी.एफ./सेंटी.मी.^{2} तक दबाव के लिए प्रशमन (मोलियर) आरेखों (डायग्राम) सहित);

(iii) भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता 1970 अथवा 1983 समूह 2 भाग VI;

(iv) प्रश्न पत्र में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उम्मीदवार के लिए आवश्यक समझी जाने वाली अन्य विशेष वस्तुएँ। परीक्षा समाप्त होने पर, उपर्युक्त वस्तुएं निरीक्षक को वापस कर दें।

3. **<u>उम्मीदवार द्वारा उत्तर स्वयं लिखे जाएंगे</u>**

उम्मीदवार द्वारा उत्तर स्याही से स्वयं लिखे जाएंगे। मानचित्रों, गणितीय आरेखों या कच्चे कार्य के लिए पेंसिल का उपयोग किया जा सकता है।

4. **<u>उत्तर-पुस्तिका की जांच:</u>**

उम्मीदवार को अपने द्वारा प्रयोग में लाई गई प्रत्येक उत्तर-पुस्तिका में विर्निदिष्ट स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखना चाहिए (अपना नाम नहीं)। उत्तर-पुस्तिका में लिखना शुरू करने से पहले कृपया यह देख लें कि वह पूरी है। यदि किसी उत्तर-पुस्तिका के पन्ने गुम हों, तो उसे बदलवा लेना चाहिए। उत्तर-पुस्तिका में से किसी पृष्ठ को न फाड़ें। यदि आप एक से अधिक उत्तर-पुस्तिका का प्रयोग करते हैं, तो प्रथम उत्तर-पुस्तिका के मुखपृष्ठ पर प्रयोग की गई कुल उत्तर-पुस्तिकाओं की संख्या अंकित करें। उत्तरों के बीच में खाली जगह न छोड़ें। यदि ऐसे स्थान छोड़े गए हों तो उन्हें काट दें।

5. **<u>निर्धारित संख्या से अधिक संख्या में दिए गए उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा:</u>**

उम्मीदवार को प्रत्येक प्रश्न पत्र पर दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। यदि निर्धारित संख्या से अधिक प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है तो निर्धारित संख्या तक पहले जिन प्रश्नों के उत्तर दिए गए होंगे केवल उनका मूल्यांकन किया जाएगा। शेष का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

6. **उम्मीदवार को ग्राफ/सार लेखन वाले प्रश्नों के उत्तर निरीक्षक द्वारा प्रदान की गई ग्राफ शीट/सार लेखन शीट पर ही देने होंगे।**

सभी प्रयुक्त या अप्रयुक्त खुली शीट जैसे सार लेखन शीट, आरेख शीट, ग्राफ शीट आदि अपनी उत्तर-पुस्तिका में रखकर, अतिरिक्त उत्तर-पुस्तिका (पुस्तिकाओं), यदि कोई हों, के साथ मजबूती से बांध दें। उम्मीदवार यदि इन अनुदेशों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें दंड दिया जाएगा। इन शीटों पर अपना अनुक्रमांक न लिखें।

7. **अनुचित साधनों का प्रयोग पूर्णत: प्रतिबंधित:**

किसी अन्य उम्मीदवार के पेपर से नकल न करें, न ही अपने पेपर की नकल करने दें, और न ही किसी भी प्रकार की अनुचित सहायता दें, न ही देने का प्रयास करें, और न ही प्राप्त करने का प्रयास करें। यह प्रत्येक उम्मीदवार की जिम्मेदारी होगी कि वह सुनिश्चित करे कि किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा उसके उत्तरों की नकल न की जाएं। ऐसा न करने पर आयोग द्वारा अनुचित तरीके अपनाने के लिए निर्धारित शास्ति लगाई जाएगी।

8. परीक्षा भवन में आचरण:

उम्मीदवार परीक्षा हॉल में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें या अव्यवस्था न फैलाएं या परीक्षा के संचालन के लिए तैनात स्टाफ को परेशान न करें या उन्हें शारीरिक क्षति न पहुंचाएं। यदि आप ऐसा करने का प्रयास करते हैं तो आपको कठोर दंड दिया जाएगा।

9. कृपया परीक्षा हॉल में उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र तथा उत्तर-पुस्तिका में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका अनुपालन करें।

10. उम्मीदवारों को परीक्षा की निर्धारित समयावधी के समाप्त होने से पहले परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं है।

(भाग-ख)

वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों हेतु उम्मीदवार के लिए विशेष अनुदेश

1. **परीक्षा हॉल में निम्नलिखित वस्तुएं लाने की अनुमति होगी**

क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड (जिस पर कुछ न लिखा हो), उत्तर पत्रक पर उत्तर अंकित करने के लिए अच्छी किस्म का काला बॉल पेन। उत्तर पत्रक और कच्चे कार्य के लिए रफ शीट निरीक्षक द्वारा दी जाएंगी।

2. **परीक्षा हॉल में निम्नलिखित वस्तुएं लाने की अनुमति नहीं होगी**

ऊपर दर्शाई गई वस्तुओं के अलावा अन्य कोई वस्तु जैसे मूल्यवान/कीमती वस्तुएँ, मोबाइल फोन, स्मार्ट/डिजिटल घड़ियां, अन्य आईटी गैजेट, पुस्तकें, बैग, नोट्स, खुले कागज, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य किसी प्रकार के केलकुलेटर, गणितीय तथा आरेख उपकरण, लघुगुणक सारणी, मानचित्रों के स्टेंसिल, स्लाइड रूल, पहले सत्र (सत्रों) से संबंधित परीक्षण पुस्तिका और रफ शीट, परीक्षा हॉल में न लाएं।

मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, पेजर एवं अन्य संचार यंत्र (स्विच-ऑफ मोड में भी) या अन्य किसी आपत्तिजनक सामग्री (ई-प्रवेश पत्र, पेपर, रबड आदि पर नोट्स) रखने अथवा उसका उपयोग उस परिसर में करने की अनुमति नहीं है जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है। इन अनुदेशों का उल्लंघन करने पर अनुशासनिक कार्यवाही करने के साथ-साथ भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से विवर्जित किया जा सकता है।

उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे मोबाइल फोन/ब्लूटूथ/पेजर सहित कोई भी प्रतिबंधित वस्तु परीक्षा परिसर में न लाएं क्योंकि परीक्षा-स्थल पर इनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे कोई मूल्यवान/कीमती वस्तु परीक्षा परिसर में न लाएं क्योंकि परीक्षा-स्थल पर इनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की जाएगी। इस संबंध में हुए किसी भी नुकसान के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

3. **गलत उत्तरों के लिए दंड (वस्तुनिष्ठ पेपरों में)**

वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न-पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड (नेगेटिव मार्किंग) दिया जाएगा।

(i) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का एक तिहाई (0.33) दंड के रूप में काटा जाएगा।

(ii) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा, भले ही दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही हो। फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार दंड दिया जाएगा।

(iii) यदि उम्मीदवार द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा।

4. **अनुचित साधनों का प्रयोग पूर्णत: प्रतिबंधित**

कोई भी उम्मीदवार किसी भी अन्य उम्मीदवार के पेपरों से न तो नकल करेगा न ही अपने पेपरों से नकल करवाएगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही सहायता प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

5. **परीक्षा भवन में आचरण**

कोई भी उम्मीदवार किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था न फैलाए तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान न करे। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दंड दिया जाएगा।

6. **उत्तर पत्रक विवरण**

(i) उत्तर पत्रक के ऊपरी सिरे के निर्धारित स्थान पर आप अपना केन्द्र और विषय, परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला (कोष्ठक में), विषय कोड और अनुक्रमांक काले बॉल पेन से लिखें। उत्तर पत्रक में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित वृत्तों में अपनी परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला (यथास्थिति ए.बी.सी या डी), विषय कोड तथा अनुक्रमांक काले बॉल पेन से कूटबद्ध करें। उपर्युक्त विवरण लिखने तथा उपर्युक्त विवरण कूटबद्ध करने के लिए दिशानिर्देश अनुबंध में दिए गए हैं। यदि परीक्षण पुस्तिका पर पुस्तिका श्रृंखला मुद्रित न हो अथवा उत्तर पत्रकों पर संख्या न हो तो कृपया निरीक्षक को तुरंत रिपोर्ट करें और परीक्षण पुस्तिका/उत्तर पत्रक को बदल लें।

(ii) उम्मीदवार नोट करें कि ओएमआर और उत्तर पत्रक में विवरण कूटबद्ध करने/भरने विशेषकर अनुक्रमांक तथा परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला कोड के संदर्भ में, किसी प्रकार की चूक/त्रुटि/विसंगति, होने पर उत्तर पत्रक अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(iii) परीक्षा आरंभ होने के तत्काल बाद कृपया जांच कर लें कि आपको जो परीक्षण पुस्तिका दी गई है उसमें कोई पृष्ठ या मद आदि अमुद्रित या फटा हुआ अथवा गायब तो नहीं है। यदि ऐसा हो तो उसे उसी श्रृंखला तथा विषय की पूर्ण परीक्षण पुस्तिका से बदल लेना चाहिए।

7. उत्तर पत्रक/परीक्षण पुस्तिका/कच्चे कार्य पत्रक में मांगी गई विशिष्ट मदों की सूचना के अलावा कहीं पर भी अपना नाम या अन्य कुछ नहीं लिखें।

8. उत्तर पत्रक को न मोड़ें और न ही खराब करें अथवा उसमें कोई असंगत निशान न लगाएं। उत्तर पत्रक के पीछे की ओर कुछ न लिखें।

9. चूंकि उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कंप्यूटरीकृत मशीनों पर होगा, अत: उम्मीदवारों को उत्तर पत्रकों के रख-रखाव तथा उन्हें भरने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। **उन्हें वृत्तों को काला करने के लिए केवल काले बॉल पेन का इस्तेमाल करना चाहिए। बॉक्सों में लिखने के लिए उन्हें काले बॉल पेन का इस्तेमाल करना चाहिए। चूंकि कम्प्यूटरीकृत मशीनों द्वारा उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन करते समय उम्मीदवारों द्वारा वृत्तों को काला करके भरी गई प्रविष्टियों को ध्यान में रखा जाएगा, अत: उन्हें इन प्रविष्टियों को बड़ी सावधानी से तथा सही-सही भरना चाहिए। उम्मीदवार को उत्तर पत्रक में अपने उत्तर अच्छी किस्म के काले बॉल पेन से अंकित करने चाहिए।**

10. **उत्तर अंकित करने का तरीका**

"वस्तुनिष्ठ प्रकार" की परीक्षा में आपको उत्तर लिखने नहीं होंगे। प्रत्येक प्रश्न (जिन्हें आगे "प्रश्नांश" कहा जाएगा) के लिए कई सुझाए गए उत्तर (जिन्हें आगे "प्रत्युत्तर" कहा जाएगा) दिए जाते हैं। उनमें से प्रत्येक प्रश्नांश के लिए आपको एक प्रत्युत्तर चुनना है। प्रश्न पत्र परीक्षण पुस्तिका के रूप में होगा। इस पुस्तिका में क्रम संख्या

1,2,3… आदि के क्रम में प्रश्नांश के नीचे (ए), (बी), (सी) और (डी) के रूप में प्रत्युत्तर दिए गए होंगे। आपको एक सही प्रत्युत्तर चुनना है। यदि आपको एक से अधिक प्रत्युत्तर सही लगें तो उनमें से आपको सर्वोत्तम प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा।

किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्नांश के लिए आपको एक ही प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा। यदि आप एक से अधिक प्रत्युत्तर चुन लेते हैं तो आपका प्रत्युत्तर गलत माना जाएगा। उत्तर पुस्तिका में क्रम संख्या 1 से 160 मुद्रित हैं प्रत्येक प्रश्नांश (संख्या) के सामने (ए), (बी), (सी) और (डी) चिन्ह वाले वृत्त होते हैं। जब आप परीक्षण पुस्तिका के प्रत्येक प्रश्नांश को पढ़ लें और यह निर्णय कर लें कि दिए गए प्रत्युत्तरों में से कौन सा एक प्रत्युत्तर सही या सर्वोत्तम हैं तब आपको अपना प्रत्युत्तर उस वृत्त को काले बॉल पेन से पूरी तरह से काला बनाकर अंकित कर देना है। उत्तर पुस्तिका में वृत्तों को काला करने के लिए स्याही वाले पेन या पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

उदाहरण के तौर पर यदि प्रश्नांश 1 का सही प्रत्युत्तर (बी) है तो अक्षर (बी) वाले वृत्त को निम्नानुसार काले बॉल पेन से पूरी तरह काला कर देना चाहिए जैसाकि नीचे दिखाया गया है।

उदाहरण (a) (•) (c) (d)

11. **स्कैनेबल उपस्थिति सूची में प्रविष्टि कैसे करें**

उम्मीदवारों को संगत विवरण स्कैनेबल उपस्थिति सूची में, संगत विवरण उनके कॉलम के सामने **केवल काले बॉल पेन** से निम्नानुसार भरना है:-

i) उपस्थिति/ अनुपस्थिति कॉलम में (P) वाले गोले को काला करें।

ii) परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला के संगत गोले को काला करें।

iii) परीक्षण पुस्तिका क्रम संख्या लिखें।

iv) उत्तर पुस्तिका क्रम संख्या लिखें और नीचे दिए गए तदनुरूपी गोले को भी काला करें।

v) संगत कॉलम में अपने हस्ताक्षर करें।

12. कृपया परीक्षण पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर दिए गए अनुदेशों को पढ़ें और उनका पालन करें। यदि कोई उम्मीदवार अव्यवस्थित अथवा अनुचित आचरण करता है तो वह अनुशासनिक कार्रवाई और/या आयोग द्वारा उचित समझे जाने वाले दंड का भागी होगा।
13. परीक्षा की निर्धारित समयावधि समाप्त होने से पहले उम्मीदवारों को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं है।

अनुबंध

परीक्षा कक्ष में वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों की उत्तर पुस्तिका कैसे भरें

कृपया इन अनुदेशों का अत्यंत सावधानीपूर्वक पालन करें। आप यह नोट कर लें कि चूंकि उत्तर-पुस्तिका का मूल्यांकन मशीन द्वारा किया जाएगा इसलिए इन अनुदेशों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन आपके प्राप्तांकों को कम कर सकता है जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

उत्तर पुस्तिका पर अपना प्रत्युत्तर अंकित करने से पहले आपको इसमें विभिन्न प्रकार के विवरण भरने होंगे।

उम्मीदवार को उत्तर- पुस्तिका प्राप्त होते ही यह जांच कर लेनी चाहिए कि इसमें नीचे संख्या दी गई हो। यदि इसमें संख्या न दी गई हो तो उम्मीदवार को उस पुस्तिका को किसी संख्या वाली पुस्तिका के साथ तत्काल बदल लेना चाहिए।

आप उत्तर- पुस्तिका में देखेंगे कि आपको सबसे ऊपर की पंक्ति में भरनी होगी जो इस प्रकार है:

केंद्र	विषय	विषय कोड		अनुक्रमांक	
Centre	Subject	Subject Code	☐☐	Roll Number	☐☐☐☐☐☐

मान लें कि आप गणित के प्रश्न-पत्र* के लिए परीक्षा हेतु दिल्ली केन्द्र पर उपस्थित हो रहे हैं और आपका अनुक्रमांक 081276 है तथा आपकी परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला 'ए' है तो आपको काले बॉल पेन से इस प्रकार भरना चाहिए।

* यह एक उदाहरण मात्र है तथा संबंधित परीक्षा से इसका कोई संबंध नहीं है।

केंद्र Centre	विषय Subject	विषय कोड Subject Code		अनुक्रमांक Roll Number					
दिल्ली	गणित	0	1	0	8	1	2	7	6

आप केन्द्र का नाम अंग्रेजी या हिन्दी में काले बॉल पेन से लिखें। परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला पुस्तिका के सबसे ऊपर दायें कोने पर ए बी सी अथवा डी द्वारा दर्शाई गई है।

आप काले बॉल पेन से अपना वही अनुक्रमांक इसके लिए निर्धारित गोलों में लिखें जो आपके **ई-प्रवेश पत्र** में है। काले पेन का प्रयोग करना न भूलें। केंद्र का नाम कूटबद्ध (एनकोड) किए जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई शून्य मौजूद हो तो उसे न छोड़ें।

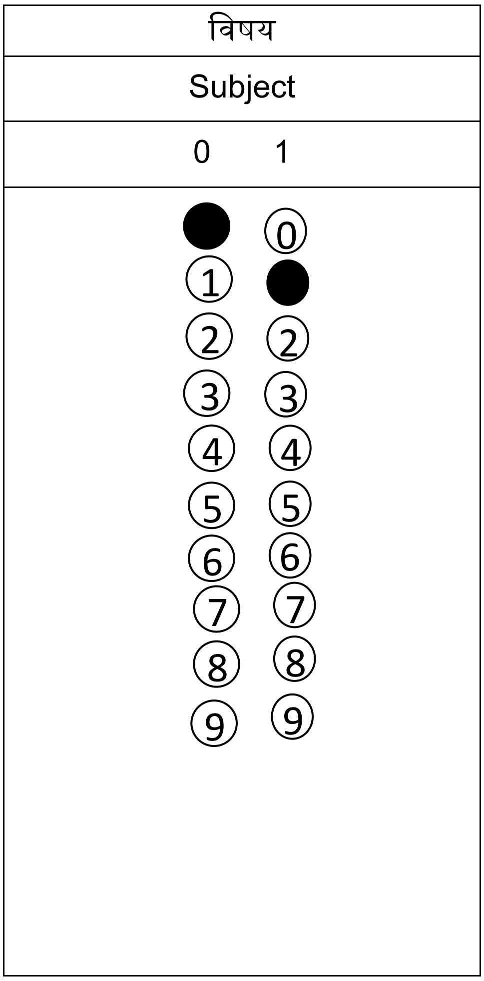

इसके बाद आप समय सारणी में से समुचित विषय कोड ढूंढें। अब आप परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला, विषय कोड तथा अनुक्रमांक को इस प्रयोजन के लिए निर्धारित वृत्तों में कूटबद्ध करने का कार्य करें। परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला कूटबद्ध करने का कार्य परीक्षण पुस्तिका प्राप्त होने तथा उसमें से पुस्तिका श्रृंखला की पुष्टि करने के पश्चात ही करना चाहिए।

'ए' परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला के गणित विषय के पेपर के लिए आपको विषय कोड लिखना है जो 01 है। इसे इस प्रकार लिखें।

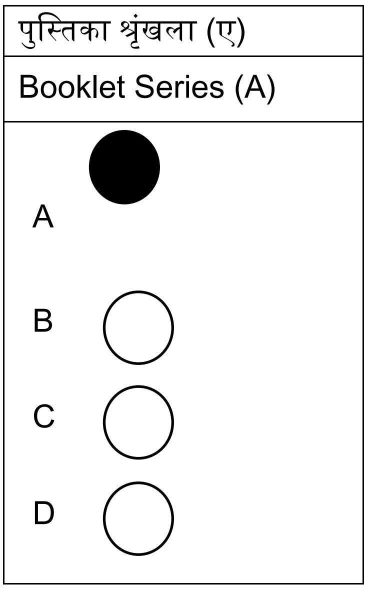

आपको बस परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला के नीचे दिए गए अंकित वृत्त 'ए' को पूरी तरह से काला करना है और विषय कोड के नीचे '0' के लिए (पहले उर्ध्वाधर कॉलम में) और 1 के लिए (दूसरे उर्ध्वाधर कॉलम में) वृत्तों को पूरी तरह काला करना है। तब आप अनुक्रमांक 081276 को कूटबद्ध करें। इसे उसी के अनुरूप इस प्रकार करेंगे।

अनुक्रमांक

Number

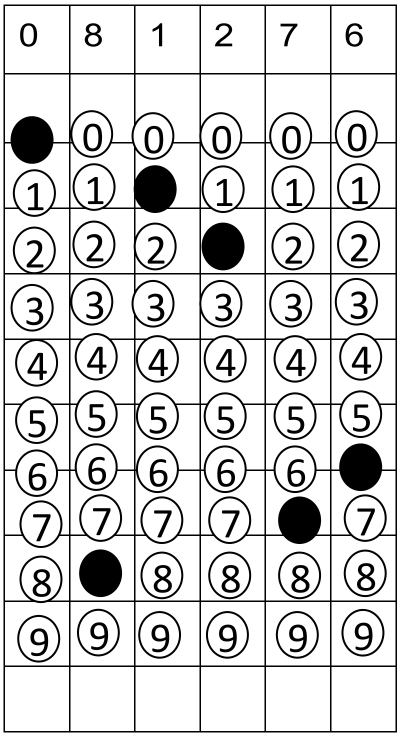

महत्वपूर्ण: कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपने अपना विषय, परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला तथा अनुक्रमांक ठीक से कूटबद्ध किया है।

***यह एक उदाहरण मात्र है तथा आपकी परीक्षा से इसका कोई संबंध नहीं है।**

<u>परिशिष्ट-IV</u>

<u>परीक्षार्थी की लेखन संबंधी शारीरिक सीमा दर्शाने वाले प्रमाण-पत्र</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती .... (बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवार का नाम), जो......................................(दिव्यांगता प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित दिव्यांगता का स्वरूप और प्रतिशत) से ग्रस्त व्यक्ति है, पुत्र/पुत्री ...., निवासी .... (गांव/ज़िला/राज्य) है, की जांच की है और उल्लेख किया जाता है कि इनकी उक्त दिव्यांगता इनके लिए बाधक है जो इनकी लेखन क्षमता को प्रभावित करती है।

हस्ताक्षर
सरकारी स्वास्थ्य संस्था का मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/
चिकित्सा अधीक्षक

नोट : प्रमाण-पत्र, संबंधित विषय/दिव्यांगता (जैसे दृष्टि बाधित – नेत्र रोग विशेषज्ञ, लोकोमोटर दिव्यांगता – हड्डी रोग विशेषज्ञ/पीएमआर) के विशेषज्ञ द्वारा प्रदान किया गया होना चाहिए।

<u>परिशिष्ट-V</u>

<u>अपना स्क्राइब लाने के लिए परिवचन</u>

(उम्मीदवारों द्वारा आयोग को ऑनलाइन भरकर प्रस्तुत किया जाए)

मैं, ________________________ (नाम) ______________________________ (परीक्षा का नाम) का उम्मीदवार हूं। मेरा अनुक्रमांक ____________________ और मेरा केन्द्र ______________________ (केन्द्र का नाम) है, जो _____________ (राज्य का नाम) के अंतर्गत ___________ जिले (जिले का नाम) में स्थित है। मेरी शैक्षणिक योग्यता _______________ है। मैं घोषित करता हूं कि ___________________ (स्क्राइब का नाम), उक्त परीक्षा में अधोहस्ताक्षरी को स्क्राइब/रीडर/प्रयोगशाला (लैब) सहायक की सेवाएं प्रदान करेंगे। मैं एतद्वारा वचन देता हूं कि उनकी शैक्षणिक योग्यता ________________ है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उनकी योग्यता मेरी घोषणा के अनुरूप नहीं है और मेरी शैक्षणिक योग्यता से अधिक है तो मैं उक्त पद हेतु अपने अधिकार और संबंधित दावे से वंचित हो जाऊंगा।

(दिव्यांग उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

स्थान :

तारीख :

परिशिष्ट – VI

विशिष्ट दिव्यांगता वाले उन उम्मीदवारों के लिए प्रमाण-पत्र जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं, परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/सुश्री/श्रीमती.. (उम्मीदवार का नाम), पुत्र/पुत्री ...., निवासी...................................... (ग्राम/पोस्ट ऑफिस/पुलिस थाना/जिला/राज्य), आयु ....वर्ष, की जांच की है, जो...............(दिव्यांगता का स्वरूप/ स्थिति) से ग्रस्त व्यक्ति हैं, और यह उल्लेख किया जाता है कि इनकी उक्त स्थिति इनके लिए बाधक है जो इनकी लिखने की क्षमता को प्रभावित करती है। इन्हें परीक्षा में लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता की आवश्यकता है।

2. उक्त उम्मीदवार स्क्राइब की सहायता के साथ उपादानों एवं सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स, श्रवण यंत्र (नाम का उल्लेख करें) का उपयोग करता है, जो उम्मीदवार के लिए परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य हैं।

3. यह प्रमाण-पत्र, केवल भर्ती एजेंसियों और शैक्षिक संस्थाओं द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में शामिल होने के प्रयोजन हेतु जारी किया जाता है तथा यह दिनांक ....तक मान्य है (यह अधिकतम छह माह या इससे कम अवधि, जैसा भी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए, के लिए मान्य है।)

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर तथा नाम)	(हस्ताक्षर तथा नाम)	(हस्ताक्षर तथा नाम)	(हस्ताक्षर तथा नाम)	(हस्ताक्षर तथा नाम)
हड्डी रोग विशेषज्ञ/ पीएमआर विशेषज्ञ	नैदानिक मनोविज्ञानी (क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट)/ पुनर्वास मनोविज्ञानी (रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट)/ मनोचिकित्सक/ विशेष शिक्षक (स्पेशल एड्यूकेटर)	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध है)	ऑक्यूपेशनल थैरेपिस्ट (यदि उपलब्ध है)	अन्य विशेषज्ञ, जो अध्यक्ष द्वारा नामित हो (यदि उपलब्ध है)
				(हस्ताक्षर तथा नाम)

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ सिविल सर्जन/ मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी......................अध्यक्ष

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य संस्था केन्द्र का नाम और मोहर

स्थानः

दिनांकः

परिशिष्ट-VII

विशिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति, जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं, परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्तियों जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, द्वारा दिया जाने वाला परिवचन पत्र।

मैं ……………………........, ... (दिव्यांगता का स्वरूप/स्थिति) से ग्रसित एक उम्मीदवार हूं, जो .... (परीक्षा का नाम) में अनुक्रमांक ...., ... (परीक्षा केन्द्र का नाम) जिला ...., ... (राज्य का नाम) में शामिल हो रहा हूं। मेरी शैक्षणिक योग्यता .... है।

2. मुझे एतद्द्वारा यह कहना है कि उक्त परीक्षा को लिखने के लिए मेरी ओर से .... (स्क्राइब का नाम) स्क्राइब की सेवा प्रदान करेंगे।

3. मैं परिवचन देता हूं कि इनकी योग्यता .... है, यदि बाद में यह पता चलता है कि इनकी योग्यता मेरी घोषणा के अनुसार नहीं है और मेरी योग्यता से अधिक है तो मैं इस पद या प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पर अपने अधिकार तथा संबंधित दावे से वंचित हो जाऊंगा।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

स्थान:

दिनांक:

***